मुकदमों का विवरण

केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड. के. एस. सी. ए. आर. डी. बी. बनाम.

मूल्यांकन अधिकारी, त्रिवेंद्रम और ओआरएस। (दीवानी अपील सं.10069 2016 का)

सितंबर 14,2023

[बी. वी. नागरत्ना और उज्जल भुवन**,** जे. जे.**]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःचाहे एक उपवेदक-निर्धारिती, एक सह -

प्रचालन समिति, अपने सभी लाभों और व्यवसाय के लाभों की कटौती का दावा करने का हकदार है जो बैंकिंग के व्यवसाय या अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है जो सभी सहकारी समितियां हैं।80 पी, आयकर अधिनियम, 1961।

आय कर अधिनियम**, 1961 -s.80P-**अपीलार्थी**,** यदि एस की उप**-**धारा **(4)** के दायरे और अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक है।**80** पी और इस प्रकार**,** कटौती के लाभ के लिए पात्र नहीं है जैसा कि उसमें प्रदान किया गया हैः

आयोजित किया गयाःनहीं-अपीलार्थी एस की उप-धारा (4) के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक नहीं है।801961 के अधिनियम का पी-अपीलार्थी एक सहकारी ऋण समिति है।801961 के अधिनियम के पी (2) (ए) (आई) जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को वित्तीय आवास प्रदान करना है जो अन्य सभी सहकारी समितियां हैं और जनता के सदस्य नहीं हैं-यदि कोई सहकारी समिति धाराओं के खंड (बी) में उल्लिखित बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन नहीं करती है।5 बी. आर. अधिनियम, 1949 के अनुसार, यह एक सहकारी बैंक नहीं होगा-तब नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत अवज्ञाएं लागू नहीं होंगी-यदि कोई सहकारी समिति एक सहकारी बैंक नहीं है, तो ऐसी संस्था कटौती का हकदार होगी, लेकिन दूसरी ओर, यदि वह एस के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक है।56 बी. आर. अधिनियम, 1949 के तहत नाबार्ड अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत यह धाराओं की उप-धारा (4) के तहत कटौती के लाभ का हकदार नहीं होगा।801961 के अधिनियम का पी-वर्तमान मामले में, हालांकि अपीलकर्ता समिति राज्य अधिनियम, 1984 के अर्थ के भीतर एक शीर्ष सहकारी समिति है, यह है -

के. एस. सी. ए. आर. डी. बी. बनाम आकलन अधिकारी, त्रिवेंद्रम और ओ. आर. एस.

एस के अर्थ में एक सहकारी बैंक नहीं।5(ख) आर/डब्ल्यू एस।56 बी. आर. अधिनियम, 1949 के आदेश और इसके विपरीत केरल उच्च न्यायालय के आदेश और अन्य प्राधिकरणों को दरकिनार कर दिया गया है-अपीलकर्ता एक सहकारी बैंक नहीं है और न ही इसे नाबार्ड अधिनियम, 1981 या राज्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया है-अपीलार्थी यू/एस के तहत कटौती के लाभ का हकदार है।801961 अधिनियम का पी-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-एस. एस.2(ग), 5,56-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981।2(डी), (यू), (वी)-(एक्स)-केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 -s.110-केरल राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक अधिनियम, 1984 -धारा 2 (ए), (डी), (आई. ए.)-त्रावणकोर-कोचीन सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1951 -धारा 10-भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934।[पैरा 15.8,15.12 और 15.13]

आय कर अधिनियम**, 1961 -s.80P (2) (a) (i)-**बैंकिंग व्यवसाय और सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने के बीच अंतरः

आयोजित किया गयाःs.80P सहकारी समितियों की आय के संबंध में उक्त धारा की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सकल कुल आय से कटौती के बारे में बताता है-उक्त आय से, एस के प्रावधानों के अनुसार कटौती की जाएगी।80 पी, आय कर के भुगतान के उद्देश्य से निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट योग-धाराओं की उप-धारा (2)।80 पी विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की गणना करता है-उप-धारा (2) (ए) (आई) में कहा गया है कि यदि कोई सहकारी समिति बैंकिंग का व्यवसाय करने या अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में लगी हुई है, तो ऐसी किसी एक या अधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार लाभ और व्यवसाय के लाभ की पूरी राशि की कटौती की जाएगी-उप-धारा एक ओर बैंकिंग के व्यवसाय और

दूसरी ओर सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के बीच स्पष्ट अंतर करती है-इस प्रकार, बैंकिंग यू/एस की अवज्ञा।5(बी) बी. आर. अधिनियम के सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने के विपरीत ध्यान में रखा जाना चाहिए-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 -एस. 5 (बी)।[पैरा 15.1]

आय कर अधिनियम**, 1961 -s.80P (4):**

आयोजित किया गया:एस की उप-धारा (4)।80 वर्तमान रूप में पी एक अपवाद की प्रकृति में है जो बताता है कि एस के प्रावधान।80 पी प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी अन्य सहकारी बैंक के संबंध में लागू होगा-सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समिति

साथ ही प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को बी. आर. अधिनियम, 1949-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग V में क्रमशः सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में परिभाषित किया गया है।[पैरा 15.2]

बैंकिंग विनियमन अधिनियम**, 1949-**एस**.5(**ख**), (**ग**), 22,56 (**ओ**)-'**बैंकिंग कंपनी'**-'**बैंकिंग'**:**

आयोजित किया गया:एस में बैंकिंग कंपनी।5(ग) का अर्थ है कोई भी कंपनी जो भारत में बैंकिंग के व्यवसाय का लेन-देन करती है-"बैंकिंग" को एस में परिभाषित किया गया है।5(ख) उधार देने या निवेश के उद्देश्य से जनता से धन की जमा राशि को स्वीकार करना, मांग पर या अन्यथा पुनर्भुगतान योग्य, और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा निकासी-इसलिए, एक बैंकिंग कंपनी को जनता के साथ बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन करना चाहिए-इस प्रकार, पहले स्थान पर एक सहकारी समिति को बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए जैसा कि एस में नहीं है।5(ख)-उसके लिए,धारा 22 बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए बैंक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुज्ञप्ति के बारे में बताती है जिसे धाराओं के खंड (ओ) के अनुसार संशोधित किया जाता है।56 जिसमें कहा गया है कि कोई भी सहकारी समिति भारत में बैंकिंग व्यवसाय तब तक नहीं करेगी जब तक कि वह एक सहकारी बैंक न हो और उसके पास रिजर्व बैंक द्वारा उस ओर से जारी लाइसेंस न हो, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो रिजर्व बैंक लागू करने के लिए उचित समझे-दूसरा, एक सहकारी समिति को यू/एस के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होगा।22, केवल तभी जब यह एक सहकारी बैंक के रूप में कार्य करता है और अन्यथा नहीं-इस प्रकार, एक सहकारी समिति जिसमें एक सहकारी ऋण समिति भी शामिल है, जो एक सहकारी बैंक नहीं है, को इस रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।[पैरा 15.4]

बैंकिंग विनियमन अधिनियम**, 1949-**एस**.5(**बी**), 56 (**सी**) (**आई**) (**सी**.** सी**.** आई**.):**

आयोजित किया गया:यदि कोई सहकारी समिति एस के खंड (बी) की अवज्ञा के रूप में बैंकिंग का व्यवसाय नहीं कर रही है।5, बी. आर. अधिनियम, 1949 के अनुसार, यह एक सहकारी बैंक नहीं होगा और न ही राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक या प्राथमिक सहकारी बैंक के अर्थ में होगा।56(ग) (i) (सी. सी. आई.)-जबकि एक सहकारी बैंक एक बैंकिंग कंपनी की प्रकृति का होता है जो धाराओं के खंड (बी) में उल्लिखित बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन करता है।5 बी. आर. अधिनियम, 1949-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981।2(डी), (यू), (वी)-(एक्स)।[पैरा 15.8]

आय कर अधिनियम**, 1961 -s.80P (4)-**ओ वस्तु और उद्देश्य**-**चर्चा की गई।बैंकिंग विनियमन अधिनियम**, 1949 -** एस**. 56-**वस्तुः

321

के. एस. सी. ए. आर. डी. बी. बनाम आकलन अधिकारी, त्रिवेंद्रम और ओ. आर. एस.

आयोजित किया गया:एस की उप-धारा (4) के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए।80 पी, बी. आर. अधिनियम, 1949 के अध्याय 5 पर विचार करना आवश्यक है जिसमें कहा गया है कि उक्त अधिनियम सहकारी समितियों पर लागू होगा, बशर्ते इसके तहत किए गए संशोधन -एस. 56 एक गैर-अस्थाई खंड से शुरू होता है जिसमें कहा गया है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उक्त अधिनियम के प्रावधान सहकारी समितियों पर या उनके संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे कुछ संशोधनों के अधीन बैंकिंग कंपनियों पर या उनके संबंध में लागू होते हैं।56 यदि सहकारी समिति उक्त प्रावधान के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक है तो एक सहकारी समिति को बैंकिंग कंपनी के बराबर करके एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रदान करना

है-ऐसा इसलिए है क्योंकि बी. आर. अधिनियम, 1949 का अध्याय 5 सहकारी समितियों के लिए अध्याय के अनुप्रयोग से संबंधित है जो उक्त अध्याय के अर्थ के भीतर सहकारी बैंक हैं-इन मामलों के उद्देश्य के लिए, जो प्रासंगिक है वह यह है कि पूरे बी. आर. अधिनियम, 1949 में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, एक "बैंकिंग कंपनी" या "कंपनी" या "ऐसी कंपनी" के संदर्भों को एक सहकारी बैंक के संदर्भों के रूप में माना जाएगा-इसलिए, एक सहकारी समिति के अर्थ पर विचार करते समय स्वाभाविक रूप से ऐसी सहकारी समिति एक बैंकिंग कंपनी होनी चाहिए।22 ऐसे बैंक के रूप में कार्य करने के लिए बी. आर. अधिनियम, 1949-आयकर अधिनियम, 1961 -s.80P (4)।[पैरा 15.4 और 15.9]

बैंकिंग विनियमन अधिनियम**, 1949 -**धारा **56-**'सहकारी बैंक'**-**राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम**, 1981 -** धारा **2 (**यू**)-**बैंकिंग विनियमन अधिनियम**, 1949-**एस**.** एस**.2(**ग**),** और **22:**

आयोजित किया गया:जब एस में "सहकारी बैंक" की परिभाषा।56 बी. आर. अधिनियम, 1949 को एस. के संदर्भ में देखा जाता है।2(यू) नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत, यह स्पष्ट है कि केवल एक राज्य सहकारी बैंक एक बैंकिंग कंपनी यू/एस के दायरे और अर्थ के भीतर होगा।2(ग) बी. आर. अधिनियम, 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने पर।22 उक्त अधिनियम का। [पैरा 15.14]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

माविलयी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, कालीकट, (2021) 7 एससीसी 90; एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ अर्बन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा लिमिटेड बनाम।महाराष्ट्र राज्य सहकारी

बैंक लिमिटेड (2003) 11 एस. सी. सी. 66:[2003] 4 पूरक।एस. सी. आर. 1071; थालप्पलम

322 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

सर्विस कॉप।बैंक लिमिटेड बनामकेरल राज्य (2013) 16 एस. सी. सी. 82:[2013] 14 एस. सी. आर. 475; भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 474; सिटीजन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम एस.आयकर आयुक्त, (2017) 9 एस. सी. सी. 364:[2017] 9 एस. सी. आर. 361; केरल राज्य सहकारी समिति। एमकेटीजी।फेडरेशन लिमिटेड

बनाम सी. आई. टी. (1998) 5 एस. सी. सी. 48:[1998] 3 एस. सी. आर. 443-संदर्भित।

ए. पी. वर्गीज बनाम। केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। आकाशवाणी 2008

केर 91-संदर्भित।

सी. आई. टी. बनाम पंजाब राज्य सहकारी समितिबैंक लिमिटेड, (2008) 300 आई. टी. आर. 24-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:सिविल अपील No.10069

2016

[2016 के आई. टी. ए. No.08 (निर्धारण वर्ष 2013-2014) में आयकर आयुक्त (अपील), त्रिवेंद्रम के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से]

सह

2019 की सिविल अपील Nos.5005-5007,2023 की 5889,5890,5891 और 2019 की 3881-3882

रूपः

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., कृष्णन वेणुगोपाल, श्रीमती सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, दीपक प्रकाश, कृष्णन अग्रवाल, रानीव दहिया, पवन कुमार। डबास, राहुल लखेरा, नचिकेता वाजपेयी, सुश्री दिव्यांगना मलिक, सुश्री विष्णु प्रिया, श्याम नायर, बीजू पी. रमन, सुश्री दिव्यगाना, राज बहादुर यादव, एस. ए. हसीब, श्रीमती प्रवीणा गौतम, एच. आर. राव, श्रीमती निशा बागची,

वी. चंद्रशेखर भारती, सुश्री श्रुति शिव कुमार, सुश्री अमृता सी. मौली, राहुल विजय कुमार, सिद्धार्थ सिन्हा, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

नागरत्ना**,** जे**.**

उन विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दी गई है जहां इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है।

323

के. एस. सी. ए. आर. डी. बी. बनाम आकलन अधिकारी, त्रिवेंद्रम और ओ. आर. एस. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 324

2. ये अपीलें अपीलार्थी/निर्धारिती के खिलाफ समान कार्यवाही से उत्पन्न होती हैं, और, अन्य बातों के साथ-साथ, केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित 26.11.2015 के फैसले पर आक्षेप करती हैं; आयकर आयुक्त (अपील), त्रिवेंद्रम द्वारा पारित 08.08.2016 का आदेश और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ('ITAT') द्वारा पारित 07.02.2019 का आदेश।

3. इन मामलों में शामिल मुद्दा यह है कि क्या अपीलकर्ता/निर्धारिती, एक सहकारी समिति, अपने पूरे लाभ और व्यवसाय के लाभ की कटौती का दावा करने का हकदार है, जो बैंकिंग के व्यवसाय या अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 पी के तहत सभी सहकारी समितियां हैं (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)।

चूँकि इन कार्यवाहियों में शामिल कानून का सवाल आम है, तथ्य केवल एसएलपी (सी) संख्या (ओं) में हैं।2737 2016 के केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.11.2015 के फैसले का वर्णन किया गया है।

4. तथ्य, संक्षेप में, यह है कि अपीलार्थी/निर्धारिती एक राज्य स्तरीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जो केरल सहकारी समितियों अधिनियम, 1969 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "राज्य अधिनियम, 1969" के रूप में संदर्भित) के तहत एक सहकारी समिति के रूप में शासित है और अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में लगा हुआ है जो केवल सहकारी समितियां हैं।प्रारंभ में वर्ष 1951 में, अपीलार्थी/निर्धारिती को त्रावणकोर-कोचीन सहकारी समिति अधिनियम, 1951 (संक्षेप में, "राज्य अधिनियम, 1951") की धारा 10 के तहत पंजीकृत किया गया।04.10.1956 पर, अपीलार्थी को सहकारी समितियों के पंजीयक, त्रिवेंद्रम से 4017 नंबर वाला एक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें इसे राज्य अधिनियम, 1951 (1952 का 10) की धारा 10 के तहत सीमित देयता के आधार पर निगमित एक सहकारी केंद्रीय भूमि बंधक बैंक के रूप में मान्यता दी गई।सहकारी समितियों के पंजीयक, त्रिवेंद्रम के अधिकारी ने आगे 17.11.1961 दिनांकित सं. 36444/61 वाले एक संचार को संबोधित किया।पी. आर. 2 में केरल सहकारी केंद्रीय बंधक बैंक लिमिटेड के लिए सेवानिवृत्ति लाभ निधि और कर्मचारी लाभ निधि से संबंधित नियम शामिल हैं।केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 को अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए और राज्य में सहकारी समितियों से संबंधित कानून को एकीकृत करने के लिए अधिनियमित किया गया था।राज्य अधिनियम, 1969 की धारा 110 के माध्यम से राज्य अधिनियम, 1951 (1952 का 10) को निरस्त कर दिया गया था।इसलिए, अपीलार्थी/निर्धारिती को राज्य अधिनियम, 1969 के तहत पंजीकृत और विनियमित किया गया।अपीलार्थी/निर्धारिती

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम को राज्य अधिनियम, 1969 की धारा 80 (3 ए) के आवेदन के संबंध में अनुसूची I में भी शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब सीधी भर्ती का सहारा लिया जाता है तो केरल लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तुत उम्मीदवारों की एक चुनिंदा सूची से 'वही' किया जाएगा।'6. राज्य अधिनियम, 1969 की धारा 2 (छ) में "सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति" को एक ऐसी समिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें समिति के समाप्त होने की स्थिति में उसके सदस्यों का दायित्व उसके उपनियमों द्वारा सीमित है (i) उनके द्वारा धारित शेयरों पर क्रमशः अवैतनिक राशि, यदि कोई हो, या (ii) ऐसी राशि जो वे क्रमशः समिति की परिसंपत्तियों में योगदान करने के लिए कर सकते हैं।

7. केरल राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक अधिनियम, 1984 (संक्षेप में, "राज्य अधिनियम, 1984") पर भी ध्यान देना उचित होगा।यह अधिनियम केरल राज्य में सहकारी "कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों" के अधिक कुशलता से काम करने की सुविधा के लिए पारित किया गया था।'

8. राज्य अधिनियम, 1984 की धारा 2 (ए) "कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" का अर्थ है "केरल सहकारी केंद्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, जो राज्य अधिनियम, 1951 (1952 का 10) की धारा 10 के तहत पंजीकृत है, और यह प्रावधान करता है कि इसे" केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड "के रूप में जाना जाएगा जो इसमें अपीलकर्ता का नाम है।धारा 2 (घ) "सहकारी समिति" से राज्य अधिनियम, 1969 (1969 का 21) के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली सहकारी समिति अभिप्रेत है।यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (आई. ए.) "ग्रामीण विकास" का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई भी गतिविधि है और इसमें निम्नलिखित विकासात्मक गतिविधियाँ शामिल हैं:(i) हस्तशिल्प और अन्य शिल्पों का विकास;(ख) लघु उद्योग;(ग) कुटीर और ग्रामोद्योग;(iv) लघु और विकेंद्रीकृत वर्ग के उद्योग; और (v) ग्रामीण आबादी की ग्रामीण आवास आवश्यकताएँ।9. अपीलार्थी/निर्धारिती को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे के विकास पर विचार करने के बाद, इन अपीलों को जन्म देने वाले प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में बताना उचित होगा।

9.1.27.10.2007 पर अपीलार्थी/निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए अपनी आय विवरणी का नेतृत्व किया। 27,18,052 325 के तहत कटौती का दावा करना

अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई)। जाँच के बाद, अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत एक मूल्यांकन आदेश पर, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मूल्यांकन वर्ष के लिए एक करोड़ रुपये की कटौती की अनुमति नहीं दी गई थी। धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत 36,39,87,058 में कहा गया है कि अपीलकर्ता/निर्धारिती न तो प्राथमिक कृषि ऋण समिति है और न ही प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है।निर्धारण अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी/निर्धारिती एक "सहकारी बैंक" है और इस प्रकार, धारा 80 (पी) (4) के प्रावधानों से प्रभावित था और अधिनियम की धारा 80 (पी) (2) के लाभ का हकदार नहीं था। आकलन अधिकारी ने कहा कि धारा 80 पी को उप-धारा (4) को शामिल करके संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार धारा 80 पी के प्रावधान प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी अन्य सहकारी बैंक पर लागू नहीं होंगे।निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी/निर्धारिती को न तो प्राथमिक कृषि ऋण समिति और न ही प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक घोषित किया, इस प्रकार, अपीलार्थी/निर्धारिती के दावे पर अधिनियम की धारा 80 पी (4) का प्रभाव पड़ा। कुल आय का अनुमान रु। 36,69,47,233।

9.2.दिनांक 27.12.2009 के निर्धारण आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी/निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) ("सी. आई. टी. (ए)") के समक्ष एक अपील का नेतृत्व किया।सी. आई. टी. (ए) ने 30.07.2010 कन्फी दिनांकित आदेश के माध्यम से मूल्यांकन अधिकारी द्वारा की गई अस्वीकृति को खारिज कर दिया।सी. आई. टी. (ए) का विचार था कि अपीलार्थी/निर्धारिती सक्रिय रूप से राज्य में एक विकास बैंक की भूमिका निभा रहा है और अब यह एक भूमि बंधक बैंक नहीं है, बल्कि एक विकास बैंक है।अपीलार्थी/निर्धारिती पहले एक भूमि बंधक बैंक हो सकता है, लेकिन इसकी गतिविधियों में बदलाव के कारण यह एक विकास बैंक बन गया है और अब यह राज्य अधिनियम, 1984 द्वारा शासित है और इस प्रकार, यह बैंकिंग के व्यवसाय में है क्योंकि यह उन सभी परीक्षणों को संतुष्ट करता है जो "सहकारी बैंक" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।सी. आई. टी. (ए) ने आगे कहा कि धारा 80 पी (4) को शामिल करने के साथ, सहकारी बैंकों को अन्य वाणिज्यिक बैंकों के बराबर रखा जाता है और अपीलकर्ता/निर्धारिती जो अपने प्राथमिक सहकारी बैंकों के माध्यम से बैंकिंग के व्यवसाय में है, निश्चित रूप से धारा 80 पी (4) के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक है।नतीजतन, याचिका खारिज कर दी गई।

9.3.सी. आई. टी. (ए) द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी/निर्धारिती ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ("आई. टी. ए. टी".) के समक्ष आगे की अपील का नेतृत्व किया।आई. टी. ए. टी. ने 23.02.2011 दिनांकित आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी।

और अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी/निर्धारिती एक सहकारी बैंक है और एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नहीं है और इसके परिणामस्वरूप धारा 80 पी (4) के प्रावधान से प्रभावित है, इस प्रकार, दावा की गई कटौती को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था।तथापि, आई. टी. ए. टी. ने यह भी स्पष्ट किया कि अपीलार्थी/निर्धारिती राज्य भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य कर रहा है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (संक्षेप में "नाबार्ड अधिनियम, 1981") के दायरे में आता है और नाबार्ड से वित्तीय सहायता के लिए उपयुक्त है। इसलिए, अपीलार्थी/निर्धारिती का दावा स्वीकृति के योग्य है और वह धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत ऐसी बैंक के रूप में अपनी ऋण गतिविधियों से संबंधित आय पर कटौती का हकदार होगा।

9.4.आई. टी. ए. टी. द्वारा केवल आंशिक रूप से अपनी अपील की अनुमति देने में पारित आदेश से व्यथित, अपीलार्थी/निर्धारिती ने आई. टी. ए. टी. के दिनांकित 23.02.2011 आदेश के खिलाफ 2011 का आई. टी. ए. संख्या 103 होने की अपील को प्राथमिकता दी।अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा उठाया गया मुद्दा आई. टी. ए. टी. के इस निर्णय के संबंध में था कि अपीलार्थी/निर्धारिती न तो प्राथमिक कृषि ऋण समिति है और न ही प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, इसलिए अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत अपनी आय में छूट का हकदार नहीं है।

9.5.आई. डी. 1 पर, केरल उच्च न्यायालय ने निर्धारिती की अपील, 2011 की आई. टी. ए. संख्या 103 को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि आई. टी. ए. टी. के आदेश किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं क्योंकि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था।दिनांकित 26.11.2015 निर्णय के विरुद्ध, अपीलार्थी/निर्धारिती ने 2016 की सं. 2737 वाली विशेष अनुमति याचिका (सी) को प्राथमिकता दी।इस न्यायालय ने दिनांक 01.02.2016 के आदेश के माध्यम से नोटिस जारी किया और AY 2007-08 के लिए अपीलार्थी/निर्धारिती से आयकर अधिकारियों द्वारा की गई मांग की वसूली पर रोक लगा दी।

प्रस्तुतियाँः

10. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान ए. एस. जी. की प्रस्तुतियाँ निम्नानुसार हैंः

10.1.वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णन वेणुगोपाल ने शुरुआत में कहा कि अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 80 पी के तहत कटौती का लाभ बढ़ाने से इनकार करने वाले विवादित आदेशों से व्यथित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 80 पी की उप-धारा (4) एक अपवाद की प्रकृति में है जिसे बाद में धारा 80 पी में जोड़ा गया था और उक्त उप-धारा में 327 को शामिल नहीं किया गया है।

‘सहकारी बैंक 'परोपकारी प्रावधान से।तथापि, अपीलार्थी उक्त उप-धारा के अर्थ में सहकारी बैंक नहीं है।दूसरी ओर, अपीलार्थी एक 'सहकारी समिति' है जो अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में लगी हुई है जो व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि अन्य सहकारी समितियां हैं और अपीलार्थी एक शीर्ष सहकारी समिति है।10.2.अपीलार्थी की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी पहले राज्य अधिनियम, 1951 के तहत एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत था और उसे एक सहकारी केंद्रीय भूमि बंधक बैंक के रूप में मान्यता दी गई थी और जब राज्य अधिनियम, 1969 लागू किया गया था, तो इसे उक्त अधिनियम के तहत एक सहकारी समिति के रूप में मान्यता दी गई थी।राज्य अधिनियम, 1951 को राज्य अधिनियम, 1969 की धारा 110 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।राज्य अधिनियम, 1969 की धारा 2 (जी) सीमित दायित्व वाली एक सहकारी समिति की अवहेलना करती है।कि राज्य अधिनियम, 1984 के अधिनियमन पर, इसकी धारा 2 (ए) का अर्थ है "कृषि और ग्रामीण विकास बैंक", जिसका अर्थ है केरल सहकारी केंद्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, जो राज्य अधिनियम, 1951 की धारा 10 के तहत पंजीकृत है, जिसे "केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड" के रूप में जाना जाता है। इसलिए, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 80 पी के अर्थ में एक सहकारी बैंक नहीं है।

10.3.अधिनियम की धारा 80 पी की उप-धारा (4) के स्पष्टीकरण (ए) का उल्लेख करते हुए, जिसमें कहा गया है कि एक सहकारी बैंक का वही अर्थ होगा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 5 में दिया गया है (जिसे इसके बाद सुविधा के लिए "बी. आर. अधिनियम, 1949" के रूप में संदर्भित किया गया है), बी. आर. अधिनियम, 1949 का भाग 5 जो सहकारी बैंकों पर लागू होता है।उक्त अधिनियम के भाग 5 की धारा 56 एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होती है और इसमें कहा गया है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधान सहकारी समितियों पर या उनके संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे लागू होते हैं, या बैंकिंग कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित संशोधनों के

अधीन, अर्थात्, (ए) पूरे अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा किसी 'बैंकिंग कंपनी' के संदर्भ की आवश्यकता न हो, एक 'सहकारी बैंक' के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।इसके अलावा, एक सहकारी बैंक का अर्थ एक राज्य सहकारी बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक सहकारी बैंक है; कि इन अभिव्यक्तियों का वही अर्थ है जो क्रमशः नाबार्ड अधिनियम, 1981 में उन्हें सौंपा गया है। 10.4.यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता बैंक बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) के अर्थ के भीतर एक बैंकिंग कंपनी नहीं है।

“बैंकिंग कंपनी "कोई भी कंपनी होगी जो भारत में बैंकिंग के व्यवसाय का लेन-देन करती है और धारा 5 (बी)" बैंकिंग "का अर्थ है जनता से धन की जमा राशि को स्वीकार करना, उधार देने या निवेश करने के उद्देश्य से, मांग पर या अन्यथा पुनर्भुगतान और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा निकासी।कि अपीलार्थी एक सहकारी समिति है न कि एक सहकारी बैंक।कि शुरू में अपीलार्थी को राज्य अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत भूमि बंधक बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया था।कि यदि कोई संस्था बैंकिंग व्यवसाय में लगी हुई है तो इसका अर्थ सहकारी बैंक को संदर्भित करने के रूप में किया जाएगा, जिस मामले में बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत, किसी कंपनी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस रखना आवश्यक है यदि उसे भारत में बैंकिंग व्यवसाय करना है और ऐसा लाइसेंस ऐसी शर्तों के अधीन जारी किया जाता है जो रिजर्व बैंक को लागू करने के लिए लगता है।तत्काल मामले में, अपीलकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (संक्षेप में "भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम") के प्रावधानों के तहत एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता 'बैंकिंग व्यवसाय' का लेन-देन नहीं करता है और इसलिए, उसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। रिलायंस को बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 3 पर रखा गया था, जैसा कि यह पहले था, जिसमें कहा गया था कि उक्त अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ (ए) एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति; (बी) एक सहकारी भूमि बंधक बैंक; और (सी) किसी अन्य सहकारी समिति पर लागू नहीं होगा, सिवाय भाग 5 में निर्दिष्ट तरीके और सीमा के। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता एक सहकारी ऋण समिति है जो अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में लगी हुई है और इसके सदस्य अन्य सहकारी समितियां हैं जो प्राथमिक समितियों की प्रकृति में हैं।अपीलार्थी अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के अर्थ के भीतर बैंकिंग का व्यवसाय नहीं कर रहा है। कि केवल एक सहकारी समिति जो बैंकिंग के व्यवसाय में लगी हुई है और बी. आर. अधिनियम, 1949 के भाग 5 के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक है, अधिनियम की धारा 80 पी की उप-धारा (4) के तहत अपवर्जन के दायरे में आएगी।

10.5.इस संदर्भ में, बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ओ) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, जिसमें कहा गया है कि धारा 22 के तहत कोई भी सहकारी समिति भारत में बैंकिंग व्यवसाय तब तक नहीं करेगी जब तक कि वह एक सहकारी बैंक न हो और उसके पास रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस न हो।तत्काल मामले में, अपीलार्थी के पास बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अनुसार कोई लाइसेंस नहीं है और वास्तव में अपीलार्थी को अपना व्यवसाय करने के लिए इस तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपीलार्थी बी. आर. अधिनियम, 1949 के अर्थ के भीतर बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर रहा है।इसलिए, अपीलार्थी बैंक 329 करता है।

बी. आर. अधिनियम, 1949 के अध्याय 5 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है।यह प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट और आर. टी. आई. के जवाब स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि अपीलार्थी को आर. बी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।

10.6.इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री कृष्णन वेणुगोपाल ने हमें पेपर बुक में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से बताया ताकि उनकी इस दलील को पुष्ट किया जा सके कि अपीलकर्ता बी. आर. अधिनियम, 1949 के अध्याय V के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक नहीं है।

10.7.इसके बाद यह तर्क दिया गया कि माविलयी में इस न्यायालय का निर्णय

सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, कालीकट, **(2021) 7** एससीसी **90 (**"माविलयी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक**")**

यह अपीलार्थी के मामले पर लागू होता है क्योंकि उक्त निर्णय में उस आधार को स्पष्ट किया गया है जिसके आधार पर किसी इकाई को बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधान के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक माना जा सकता है या नहीं।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि मविलायी सेवा सहकारी बैंक में निर्णय के अनुपात को लागू करके विवादित आदेशों को अलग किया जा सकता है।कि रिमांड रिपोर्ट के अनुसार आकलन अधिकारी द्वारा इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

10.8.इसके विपरीत, उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए विद्वान ए. एस. जी., एन. वेंकटरमन ने शुरुआत में जोरदार तर्क दिया कि अपीलकर्ता "एक सहकारी बैंक" है और केवल एक भूमि बंधक बैंक नहीं है।अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) बैंकिंग का व्यवसाय करने या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने में लगी सहकारी समिति पर लागू होती है।यह कि इसमें अपीलार्थी बैंकिंग के व्यवसाय में लगा हुआ है और बी. आर. अधिनियम, 1949 के भाग 5 के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक है और अपीलार्थी का यह तर्क कि वह एक सहकारी बैंक नहीं है, गलत है।विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार, अपीलार्थी की स्थिति विवाद में है, क्योंकि प्रतिवादी के अनुसार, अपीलार्थी एक सहकारी बैंक है, जबकि अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि वह बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर रहा है और इसलिए यह एक सहकारी बैंक नहीं है, बल्कि एक सहकारी ऋण समिति है।भेद करते हुए

माविलयी सेवा सहकारी बैंक में इस न्यायालय का निर्णय, यह था

प्रस्तुत किया कि उसमें अपीलार्थी की स्थिति विवाद में नहीं थी क्योंकि यह एक बहु-राज्य सहकारी समिति के साथ एक प्राथमिक कृषि समिति के रूप में पंजीकृत थी और इसलिए ऐसी समिति को भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपीलार्थी एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति नहीं है।

लेकिन एक सहकारी बैंक जिसे अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी आय के संबंध में कटौती के लाभ से बाहर रखा गया है। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि माविलयी सेवा सहकारी बैंक में इस न्यायालय का निर्णय इसमें अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है।इस संबंध में, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि कोई भी केंद्रीय या राज्य सहकारी बैंक बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक है क्योंकि यह बैंकिंग व्यवसाय में लगा हुआ है।कि अपीलार्थी एक राज्य सहकारी बैंक है।इसलिए, धारा 80 पी की उप-धारा (4) ऐसी संस्था को आय के संबंध में कटौती के लाभ को बाहर करती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि विवादित आदेश न्यायसंगत और उचित हैं और इन अपीलों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जिसमें योग्यता की कमी है और इसलिए उन्हें खारिज किया जा सकता है।

10.9.जवाब के माध्यम से, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दोहराया कि अपीलार्थी बैंकिंग व्यवसाय में बिल्कुल भी शामिल नहीं है और वह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से धन प्राप्त करता है और बदले में अपनी सदस्य समितियों को धन उधार देता है और उस अर्थ में यह एक शीर्ष बैंक है।रिलायंस को नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 (डी) पर यह तर्क देने के लिए रखा गया था कि एक केंद्रीय सहकारी बैंक एक राज्य के एक जिले में एक प्रमुख सहकारी समिति है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य उस जिले में अन्य सहकारी समितियों का वित्तपोषण करना है।अपीलार्थी निश्चित रूप से केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है।कि अपीलार्थी राज्य सहकारी बैंक भी नहीं है जिसका प्राथमिक उद्देश्य नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 (यू) के अनुसार राज्य के भीतर अन्य सहकारी समितियों का वित्तपोषण करना है।कि केरल राज्य सहकारी बैंक एक शीर्ष बैंक है जो नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 के खंड (यू) के अर्थ के भीतर आता है, लेकिन इसमें अपीलकर्ता नहीं है।यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता एक अनुसूचित बैंक है जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (ई) और धारा 42 के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार केरल राज्य के भीतर काम कर रहा है। धारा 2 (ई) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में एक अनुसूचित बैंक की अवहेलना करती है। अपीलार्थी बैंक के पास रखे जाने वाले नकद भंडार के संदर्भ में धारा 42 के अधिदेश से बाध्य है।10.10.कि धारा 42 (1) (घ) को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक अनुसूचित बैंक राज्य सहकारी बैंक के साथ-साथ एक सहकारी बैंक से अलग है क्योंकि एक अनुसूचित बैंक की देनदारियों का कुल, जो राज्य सहकारी बैंक नहीं है, ऐसे सहकारी बैंक और अन्य बैंक या संस्थानों की देनदारियों के कुल से घटाकर एक अनुसूचित बैंक कर दिया जाएगा।इस प्रकार, एक बैंक एक अनुसूचित बैंक हो सकता है जो राज्य 331 नहीं है।

अधिनियम की धारा 80 पी की उप-धारा (4) के अर्थ के भीतर सहकारी बैंक या सहकारी बैंक। इसमें अपीलकर्ता एक अनुसूचित बैंक है जो बी. आर. अधिनियम, 1949 के अर्थ में राज्य सहकारी बैंक या सहकारी बैंक नहीं है।

10.11.रिलायंस को एपेक्स को**-**ऑपरेटिव बैंक ऑफ अर्बन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा लिमिटेड पर रखा गया था।महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड**, (2003) 11** एस**.** सी**.** सी**. 66 (**एपेक्स को**-**ऑपरेटिव बैंक ऑफ अर्बन बैंक ऑफ इंडिया**)**

महाराष्ट्र और गोवा लिमिटेड **")** अनुच्छेद **11** के विशेष संदर्भ में

13 और 18 और ए. पी. वर्गीज बनाम का मामला। केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने ए. आई. आर. 2008 केर 91 ("ए. पी. वर्गीज") में बताया कि

बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 (सी. सी. आई.) के अनुसार सहकारी बैंक की अवज्ञा पर पैराग्राफ 7 और 8 के विशेष संदर्भ में विचार किया गया था, यह तर्क देने के लिए कि केरल राज्य सहकारी बैंक एक राज्य सहकारी बैंक है जो नाबार्ड अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत अवहेलना करता है और जिला सहकारी बैंक केंद्रीय सहकारी बैंक हैं जैसा कि उस अधिनियम में अवहेलना की गई है। इसलिए, वे सहकारी बैंक हैं जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, "सरफेसी अधिनियम, 2002") के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 28.01.2003 के अंतर्गत आते हैं।यह तर्क दिया गया कि केरल राज्य सहकारी बैंक एक राज्य सहकारी बैंक है जो एक शीर्ष बैंक है।कि सहकारी क्षेत्र में एक राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक बैंकिंग के व्यवसाय में लगा हुआ है, लेकिन इसमें अपीलकर्ता बी. आर. अधिनियम, 1949 के अर्थ के भीतर बैंकिंग के व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 80 पी की उप-धारा (4) के अनुसार भी कटौती के लाभ का हकदार है क्योंकि यह एक सहकारी बैंक नहीं है।

10.12.इस संबंध में, हमारा ध्यान राज्य अधिनियम, 1969 की धारा 2 (आर. बी.) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया गया, जो "राज्य सहकारी बैंक" की अवहेलना करती है; धारा 2 (आई. ए.) जो "जिला सहकारी बैंक" की अवहेलना करती है; धारा 2 (आर. ए.) जो राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अवहेलना करती है और धारा 2 (ओ. सी.) जो प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अवहेलना करती है।

10.13.यह आगे प्रस्तुत किया गया कि इसमें अपीलकर्ता केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जो राज्य अधिनियम, 1969 की धारा 2 (आर. ए.) की अवहेलना करता है और जो एक शीर्ष बैंक है जिसमें केवल प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हैं

राज्य अधिनियम, 1969 की धारा 2 (ओ. सी.) के तहत इसके सदस्यों के रूप में और राज्य अधिनियम, 1984 के अनुसार कार्य करना।राज्य अधिनियम, 1984 की धारा 2 (ए) का अर्थ है केरल सहकारी केंद्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, जो राज्य अधिनियम, 1951 की धारा 10 के तहत पंजीकृत है, जिसे "केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड" के रूप में जाना जाता है।यह बैंक "केरल राज्य सहकारी बैंक" से अलग है जो नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत एक राज्य सहकारी बैंक है।इसलिए, अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 80 पी का लाभ मांगा गया था।

विचार के लिए बिंदुः

11. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और प्रतिवादी के लिए विद्वान ए. एस. जी. को सुनने के बाद, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होंगेः

i) क्या अपीलार्थी अधिनियम की धारा 80 पी की उप-धारा (4) के अर्थ के भीतर एक "सहकारी बैंक" है?

(ii) क्या माविलयी सेवा सहकारी बैंक में निर्णय और उसमें निर्धारित परीक्षणों का अनुपात अपीलार्थी के मामले में लागू होता है?

(ग) कौन-सा आदेश?उपरोक्त बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं और उन पर एक साथ विचार किया जाएगा।

कानूनी ढांचाः

12. शुरुआत में, वर्तमान मामले में लागू कई प्रासंगिक प्रावधानों को एक साथ इकट्ठा करना आवश्यक होगा।

i) आयकर अधिनियम**, 1961 (**संक्षेप में **'**अधिनियम**'):**

अधिनियम की धारा 80 पी निम्नानुसार हैः

"80 पी. सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती।- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(1) जहां किसी निर्धारिती के सहकारी समिति होने की स्थिति में, सकल कुल आय में उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी आय शामिल है, वहां 333 के अनुसार कटौती की जाएगी।

निर्धारिती की कुल आय की संगणना में, इस धारा के प्रावधानों के साथ और उनके अधीन रहते हुए, उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट राशियाँ।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट राशियाँ निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:—

(क) सहकारी समिति के मामले में-(i) बैंकिंग का व्यवसाय करना या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करना, या

((ख) एक कुटीर उद्योग, या

((ग) अपने सदस्यों की कृषि उपज का विपणन, या

((iv) अपने सदस्यों को आपूर्ति करने के उद्देश्य से कृषि के लिए कृषि उपकरणों, बीजों, पशुधन या अन्य वस्तुओं की खरीद; या

((v) अपने सदस्यों की कृषि उपज का प्रसंस्करण, शक्ति की सहायता के बिना, या

(vi) अपने सदस्यों के श्रम का सामूहिक निपटान, या (vii) फिशिंग या संबद्ध गतिविधियाँ, अर्थात, फिशिंग को पकड़ना, ठीक करना, प्रसंस्करण, संरक्षण, भंडारण या विपणन या सामग्री और उपकरणों की खरीद इसके संबंध में अपने सदस्यों को आपूर्ति करने के उद्देश्य से,

ऐसी गतिविधियों में से किसी एक या अधिक के लिए जिम्मेदार व्यवसाय के लाभ और लाभ की पूरी राशि;

बशर्ते कि उपखंड (vi) या उपखंड (vii) के तहत आने वाली सहकारी समिति के मामले में, समिति के नियम और उपनियम अपने सदस्यों के निम्नलिखित वर्गों के लिए मतदान के अधिकार को प्रतिबंधित करते हैं, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(1) वे व्यक्ति जो अपने श्रम का योगदान करते हैं या, जैसा भी मामला हो, फिशिंग या संबद्ध गतिविधियों को जारी रखते हैं;

(2) सहकारी ऋण समितियाँ जो समाज को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं;

(3) राज्य सरकार '

(ख) सहकारी समिति के मामले में, एक प्राथमिक समिति होने के नाते जो अपने सदस्यों द्वारा उगाए गए या उगाए गए दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगी हुई है -

((i) एक संघीय सहकारी समिति, जो दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है; या

((ख) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी; या

((ग) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 की अवहेलना करने वाली कोई सरकारी कंपनी, या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम (ऐसी कंपनी या निगम जो जनता को दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति करने में लगी हो),

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट गतिविधियों के अतिरिक्त (इस प्रकार विनिर्दिष्ट सभी या किसी गतिविधि से स्वतंत्र रूप से या उसके अतिरिक्त) अन्य गतिविधियों में संलग्न किसी सहकारी समिति के मामले में, उसके लाभों और लाभों का इतना हिस्सा जो ऐसी गतिविधियों से संबंधित है जो -

((i) जहां ऐसी सहकारी समिति उपभोक्ता सहकारी समिति है, एक लाख रुपये।((ii) किसी भी अन्य मामले में, पचास हजार रुपये।

स्पष्टीकरण.– इस खंड में, "उपभोक्ता सहकारी समिति" का अर्थ है उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एक समाज;

(घ) सहकारी समिति द्वारा किसी अन्य सहकारी समिति के साथ अपने निवेश से प्राप्त ब्याज या लाभांश के रूप में किसी भी आय के संबंध में, ऐसी पूरी आय;

(ई) सहकारी समिति द्वारा भंडारण, प्रसंस्करण के लिए गोदामों या गोदामों को पट्टे पर देने से प्राप्त किसी भी आय के संबंध में
335

या वस्तुओं के विपणन को सुविधाजनक बनाना, ऐसी पूरी आय;

(च) किसी सहकारी समिति के मामले में, जो आवास समिति या शहरी उपभोक्ता समिति नहीं है, या परिवहन व्यवसाय करने वाली समिति या बिजली की सहायता से किसी भी विनिर्माण संचालन के प्रदर्शन में लगी समिति, जहां सकल कुल आय बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है, प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी भी आय की राशि या धारा 22 के तहत प्रभार्य घर की संपत्ति से कोई आय।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शहरी उपभोक्ता सहकारी समिति" का अर्थ है नगर निगम, नगरपालिका, नगर समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र या छावनी की सीमाओं के भीतर उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एक समिति।

(3) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती धारा 80 एचएच या धारा 80 एचएच या धारा 80 एचएच या धारा 80 एच या धारा 80 एच या धारा 80-1 या धारा 80-आई या धारा 80 जे या धारा 80 जे या धारा 80 जे के तहत कटौती का भी हकदार है, इस धारा की उप-धारा (1) के तहत कटौती, उप-धारा (2) के खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) में विनिर्दिष्ट राशियों के संबंध में, आय, यदि कोई हो, के संदर्भ में अनुज्ञात की जाएगी, जैसा कि धारा 80 एच, धारा 80 एच, धारा 80 एच, धारा 80 एचबी, धारा के तहत कटौती द्वारा घटाई गई सकल कुल आय में शामिल उन खंडों में निर्दिष्ट किया गया है।

[(4) इस धारा के प्रावधान प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी अन्य सहकारी बैंक के संबंध में लागू नहीं होंगे।स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) "सहकारी बैंक" और "प्राथमिक कृषि ऋण समिति" का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के भाग 5 में दिया गया है।

(ख) "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" से ऐसा समाज अभिप्रेत है जिसका कार्य क्षेत्र किसी तालुक तक सीमित है और जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है।

(ii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम**, 1949 (**बी**.** आर**.** अधिनियम**, 1949):**

बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों को निम्नानुसार निकाला गया है।उक्त अधिनियम की धारा 3 जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर थी, इस प्रकार हैः

3. कुछ मामलों में कुछ सहकारी समितियों पर लागू होने के लिए अधिनियम।—

इस अधिनियम में कुछ भी लागू नहीं होगा-(ए) एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति; या (बी) एक सहकारी भूमि बंधक बैंक; और

(ग) भाग 5 में विनिर्दिष्ट तरीके और सीमा को छोड़कर कोई अन्य सहकारी समिति।

एक्स एक्स एक्स

5. व्याख्या।**—** इस अधिनियम में**,** जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो**,**

एक्स एक्स एक्स

(बी) "बैंकिंग" का अर्थ है, उधार देने या निवेश के उद्देश्य से, जनता से धन की जमा राशि को स्वीकार करना, मांग पर या अन्यथा पुनर्भुगतान और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा निकासी; (सी) "बैंकिंग कंपनी" का अर्थ है कोई भी कंपनी जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करती है।

स्पष्टीकरण.—कोई भी कंपनी जो वस्तुओं के निर्माण में लगी हुई है या कोई व्यापार करती है और जो केवल अपने व्यवसाय को ऐसे निर्माता या व्यापारी के रूप में वित्तपोषित करने के उद्देश्य से जनता से धन की जमा राशि स्वीकार करती है, उसे इस खंड के अर्थ के भीतर बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन करने वाली नहीं माना जाएगा।

एक्स एक्स एक्स

22. बैंकिंग कंपनियों को लाइसेंस देना।—(1) इसके बाद के रूप में सहेजें

बशर्ते कि कोई भी कंपनी भारत में बैंकिंग व्यवसाय तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसके पास रिजर्व बैंक द्वारा उस ओर से जारी लाइसेंस न हो और ऐसा कोई भी लाइसेंस ऐसी शर्तों के अधीन जारी किया जा सकता है जो रिजर्व बैंक लागू करने के बारे में सोचे।

337

के. एस. सी. ए. आर. डी. बी. बनाम आकलन अधिकारी, त्रिवेंद्रम और ओ. आर. एस. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 338

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ पर अस्तित्व में प्रत्येक बैंकिंग कंपनी, ऐसी शुरुआत से छह महीने की समाप्ति से पहले, और प्रत्येक अन्य कंपनी भारत में बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने से पहले, इस धारा के तहत लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक को लिखित रूप में आवेदन करेगीः

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ पर अस्तित्व में एक बैंकिंग कंपनी की स्थिति में, उप-धारा (1) में कुछ भी कंपनी को बैंकिंग व्यवसाय करने से तब तक प्रतिबंधित नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे इस धारा के अनुसरण में लाइसेंस नहीं दिया जाता है या रिजर्व बैंक द्वारा लिखित सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता हैःबशर्ते कि रिजर्व बैंक धारा 11 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट तीन वर्षों या ऐसी आगे की अवधि की समाप्ति से पहले, जो रिजर्व बैंक उस उप-धारा के तहत अनुज्ञात करने के बारे में सोचे, इस अधिनियम के प्रारंभ पर अस्तित्व में किसी बैंकिंग कंपनी को उपरोक्त सूचना नहीं देगा।

(3) इस धारा के तहत कोई भी लाइसेंस देने से पहले, रिजर्व बैंक को कंपनी की पुस्तकों का निरीक्षण करके या अन्यथा संतुष्ट करने की आवश्यकता हो सकती है कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात्ः— (क) कि कंपनी अपने वर्तमान या भविष्य के जमाकर्ताओं को उनके दावों के रूप में पूरा भुगतान करने की स्थिति में है या होगी;

((ख) कि कंपनी के संबंध उसके वर्तमान या भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों के लिए निवारक तरीके से संचालित नहीं किए जा रहे हैं, या होने की संभावना नहीं है;

(ग) कि कंपनी के प्रस्तावित प्रबंधन का सामान्य चरित्र सार्वजनिक हित या उसके जमाकर्ताओं के हित के लिए प्रतिकूल नहीं होगा;

((घ) कि कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी संरचना और कमाई की संभावनाएँ हैं;

(ङ) भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए कंपनी को लाइसेंस देने से लोक हित की पूर्ति होगी।

(च) कंपनी के संचालन के प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्र में उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए संभावित गुंजाइश

क्षेत्र में पहले से मौजूद बैंकों का विस्तार और अन्य प्रासंगिक कारक-लाइसेंस का अनुदान मौद्रिक स्थिरता और आर्थिक विकास के अनुरूप बैंकिंग प्रणाली के संचालन और समेकन के लिए प्रतिकूल नहीं होगा।

(छ) कोई अन्य शर्त, जिसकी पूर्ति, रिजर्व बैंक की राय में, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगी कि कंपनी द्वारा भारत में बैंकिंग व्यवसाय चलाना सार्वजनिक हित या जमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल नहीं होगा।

(3 क) भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी को इस धारा के तहत कोई लाइसेंस देने से पहले, रिजर्व बैंक को कंपनी के बही का निरीक्षण करके या अन्यथा यह संतुष्ट करने की आवश्यकता हो सकती है कि उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया है और ऐसी कंपनी द्वारा भारत में बैंकिंग व्यवसाय चलाना जनहित में होगा और जिस देश में यह निगमित है, उसकी सरकार या कानून भारत में पंजीकृत बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करता है और यह कि कंपनी भारत के बाहर निगमित बैंकिंग कंपनियों पर लागू इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन करती है।

(4) रिजर्व बैंक इस धारा के तहत किसी बैंकिंग कंपनी को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर सकता है -

(i) यदि कंपनी भारत में बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर देती है; या (ii) यदि कंपनी किसी भी समय उप-धारा (1) के तहत उस पर लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहती है; या

((ग) यदि किसी भी समय, उप-धारा (3) और उप-धारा (3 क) में निर्दिष्ट किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया जाता हैः

बशर्ते कि इस उप-धारा के खंड (ii) या खंड (iii) के तहत लाइसेंस को इस आधार पर रद्द करने से पहले कि बैंकिंग कंपनी उसमें निर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रही है या उसे पूरा करने में विफल रही है, रिजर्व बैंक, जब तक कि यह राय न हो कि देरी कंपनी के जमाकर्ताओं या जनता के हितों के लिए प्रतिकूल होगी, कंपनी को ऐसी शर्तों पर, जो वह निर्दिष्ट करे, ऐसी शर्तों का पालन करने या उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अवसर प्रदान करेगा।

(5) इस धारा के तहत लाइसेंस रद्द करने के रिजर्व बैंक के फैसले से व्यथित कोई भी बैंकिंग कंपनी, उस तारीख से तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार को अपील कर सकती है, जिस दिन इस तरह के फैसले के बारे में उसे सूचित किया जाता है।

(6) केंद्र सरकार का निर्णय जहां उसे उप-धारा (5) के तहत अपील की गई है या रिजर्व बैंक का निर्णय जहां ऐसी कोई अपील नहीं की गई है, शून्य होगा।

एक्स एक्स एक्स

56. संशोधनों के अधीन सहकारी समितियों पर लागू होने के लिए अधिनियम।—

इस अधिनियम के प्रावधान, जो कुछ समय के लिए लागू हैं, सहकारी समितियों पर या उनके संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे निम्नलिखित संशोधनों के अधीन बैंकिंग कंपनियों पर या उनके संबंध में लागू होते हैं, अर्थात्ः— (क) इस अधिनियम के दौरान, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, (i) किसी "बैंकिंग कंपनी" या "कंपनी" या "ऐसी कंपनी" के संदर्भों को किसी सहकारी बैंक के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

(ii) "इस अधिनियम के प्रारंभ" के संदर्भों को बैंकिंग कानून (सहकारी समितियों पर लागू) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारंभ के संदर्भों के रूप में माना जाएगा;

(ख) धारा 2 में "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)" और "शब्द हटा दिए जाएँगे।

(ग) धारा 5-(i) में खंड (सी. सी.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएँगे अर्थात्:—

((ग) "सहकारी बैंक" से एक राज्य सहकारी बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक सहकारी बैंक अभिप्रेत है; (ग) "सहकारी ऋण समिति" से एक सहकारी समिति अभिप्रेत है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को वित्तीय आवास प्रदान करना है और इसमें एक सहकारी भूमि बंधक बैंक शामिल है;

((ग) "सहकारी समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जो बहु-राज्य सहकारी समितियों, या सहकारी समितियों से संबंधित किसी अन्य केंद्रीय या राज्य कानून से संबंधित किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी गई हो।

((ग) "निदेशक" में, किसी सहकारी समिति के संबंध में, किसी समिति या निकाय का एक सदस्य शामिल होता है, जो उस समिति के संबद्ध निकायों के प्रबंधन के लिए कुछ समय के लिए निहित होता है।

("बहु-राज्य सहकारी बैंक" का अर्थ है एक बहु-राज्य सहकारी समिति जो एक प्राथमिक सहकारी बैंक है;

((ग) "बहु-राज्य सहकारी समिति" से बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी केंद्रीय अधिनियम के तहत पंजीकृत एक बहु-राज्य सहकारी समिति अभिप्रेत है, लेकिन इसमें एक राष्ट्रीय सहकारी समिति और एक संघीय सहकारी समिति शामिल नहीं है;

((ग) "प्राथमिक कृषि ऋण समिति" से सहकारी समिति अभिप्रेत है, -

(1) जिसका प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय अपने सदस्यों को कृषि उद्देश्यों के लिए या कृषि गतिविधियों (फसलों के विपणन सहित) से जुड़े उद्देश्यों के लिए वित्तीय आवास प्रदान करना है; और

(2) जिनके उपनियम किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं:

बशर्ते कि यह उपखंड किसी सहकारी बैंक के सदस्य के रूप में प्रवेश पर लागू नहीं होगा क्योंकि ऐसा सहकारी बैंक इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों में से ऐसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी की सदस्यता लेता है।

(सी. सी. वी.) "प्राथमिक सहकारी बैंक" से प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अलावा एक सहकारी समिति अभिप्रेत है, -

(1) 341 प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय जिसका बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन है।

(2) जिसकी चुकता शेयर पूंजी और भंडार एक लाख रुपये से कम नहीं हैं; और

(3) जिनके उपनियम किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं:

बशर्ते कि यह उपखंड किसी सहकारी बैंक के सदस्य के रूप में प्रवेश पर लागू नहीं होगा क्योंकि ऐसा सहकारी बैंक इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों में से ऐसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी की सदस्यता लेता है।

(सी. सी. वी. आई.) "प्राथमिक ऋण समिति" से प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अलावा एक सहकारी समिति अभिप्रेत है -

(1) प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय जिसका बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन है;

(2) जिसकी चुकता शेयर पूंजी और भंडार एक लाख रुपये से कम हैं; और

(3) जिनके उपनियम किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं:

बशर्ते कि यह उपखंड किसी सहकारी बैंक के सदस्य के रूप में प्रवेश पर लागू नहीं होगा क्योंकि ऐसा सहकारी बैंक इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों में से ऐसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी की सदस्यता लेता है।

स्पष्टीकरण.—यदि खंड (सी. सी. आई. वी.), (सी. सी. वी.) और (सी. सी. वी. आई.) में निर्दिष्ट किसी सहकारी समिति के प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो रिजर्व बैंक द्वारा उसका निर्धारण शून्य होगा; (सी. सी. वी. आई. आई.) "केंद्रीय सहकारी बैंक", "प्राथमिक ग्रामीण ऋण समिति" और "राज्य सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा जो उन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) में क्रमशः सौंपा गया है।

एक्स एक्स एक्स

(ओ) धारा 22 में -

(i) उप-धारा (1) और (2) के लिए निम्नलिखित उप-धाराओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1) इसके बाद दिए गए प्रावधान को छोड़कर, कोई भी सहकारी समिति भारत में बैंकिंग व्यवसाय नहीं करेगी जब तक कि -

(ए) [* * *]

(ख) यह एक सहकारी बैंक है और रिजर्व बैंक द्वारा उस ओर से जारी लाइसेंस रखता है, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो रिजर्व बैंक लागू करने के लिए समझता हैः

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई बात किसी सहकारी समिति पर लागू नहीं होगी, जो प्राथमिक ऋण समिति या बैंकिंग कानून (सहकारी समितियों पर अनुप्रयोग) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारंभ पर बैंकिंग व्यवसाय करने वाले सहकारी बैंक नहीं है, ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के लिए।

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई बात बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ पर या उससे पहले बैंकिंग व्यवसाय करने वाली प्राथमिक ऋण समिति पर एक वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं होगी, जो रिजर्व बैंक ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद बढ़ा सके।

(2) बैंकिंग कानून (सहकारी समितियों पर लागू) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारंभ पर एक सहकारी बैंक के रूप में व्यवसाय करने वाली प्रत्येक सहकारी समिति, जो एक सहकारी बैंक के रूप में व्यवसाय करने वाली किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन या बैंकिंग व्यवसाय करने वाली दो या दो से अधिक सहकारी समितियों के एकीकरण के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आती है, अपने अस्तित्व में आने के तीन महीने की समाप्ति से पहले, प्रत्येक प्राथमिक ऋण समिति जो बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ पर या उससे पहले एक प्राथमिक सहकारी बैंक बन गई थी, शुरू होने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले अस्तित्व में आएगी।

बशर्ते कि उप-धारा (1) के खंड (बी) में कुछ भी निषेध करने वाला नहीं समझा जाएगा -

(i) बैंकिंग कानून (सहकारी समितियों के लिए अनुप्रयोग) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारंभ में एक सहकारी बैंक के रूप में व्यवसाय करने वाली एक सहकारी समिति; या

((ख) एक सहकारी बैंक जो सहकारी बैंक के रूप में व्यवसाय करने वाली किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया है, या बैंकिंग कानून (सहकारी समितियों पर अनुप्रयोग) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारंभ पर या उसके बाद किसी भी समय बैंकिंग व्यवसाय करने वाली दो या दो से अधिक सहकारी समितियों के एकीकरण के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया है; या

(iii) [* * *]

बैंकिंग व्यवसाय करने से तब तक जब तक कि उसे इस धारा के अनुसरण में लाइसेंस नहीं दिया जाता है या रिजर्व बैंक द्वारा लिखित सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।];

((ख) उप-धारा (3 क) का लोप किया जाएगा।

((ग) खंड (ग) की उप-धारा (4) में शब्द, कोष्ठक, सूत्र और अक्षर "और उप-धारा (3 क)" का लोप किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम**, 1981 (**संक्षेप में **'**नाबार्ड अधिनियम**, 1981'):**

नाबार्ड अधिनियम, 1981 के प्रासंगिक प्रावधानों को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः

2. परिभाषाएँ।**-** इस अधिनियम में**,** जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो**, -**

एक्स एक्स एक्स

(घ) "केंद्रीय सहकारी बैंक" से किसी राज्य के किसी जिले में प्रमुख सहकारी समिति अभिप्रेत है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य उस जिले में अन्य सहकारी समितियों का वित्तपोषण करना हैः

बशर्ते कि किसी जिले में ऐसी प्रमुख सोसायटी के अलावा, या जहां किसी जिले में ऐसी कोई प्रमुख सोसाइटी नहीं है, राज्य सरकार किसी एक या अधिक सहकारी समितियों की घोषणा कर सकती है।

उस जिले में अन्य सहकारी समितियों को वित्तपोषित करने का व्यवसाय करना या इस परिभाषा के अर्थ के भीतर एक केंद्रीय सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक होना;

एक्स एक्स एक्स

((उ) "राज्य सहकारी बैंक" से किसी राज्य में प्रमुख सहकारी समिति अभिप्रेत है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य में अन्य सहकारी समितियों का वित्तपोषण करना हैः

बशर्ते कि किसी राज्य में ऐसी प्रमुख सोसायटी के अलावा, या जहां किसी राज्य में ऐसी कोई प्रमुख सोसाइटी नहीं है, राज्य सरकार इस परिभाषा के अर्थ के भीतर उस राज्य में व्यवसाय करने वाली किसी भी एक या अधिक सहकारी समितियों को राज्य सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक भी घोषित कर सकती है।

("राज्य भूमि विकास बैंक" से वह सहकारी समिति अभिप्रेत है जो किसी राज्य में प्रमुख भूमि विकास बैंक (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए) है और जिसका प्राथमिक उद्देश्य कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना हैःबशर्ते कि किसी राज्य में ऐसे प्रमुख भूमि विकास बैंक के अलावा, या जहां किसी राज्य में ऐसा कोई बैंक नहीं है, राज्य सरकार उस राज्य में व्यवसाय करने वाली किसी भी सहकारी समिति को घोषित कर सकती है और ऐसी सहकारी समिति के उपनियमों द्वारा कृषि विकास के लिए इस परिभाषा के अर्थ के भीतर राज्य भूमि विकास बैंक होने या होने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

((ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की अवहेलना नहीं करते हुए, इसमें उपयोग किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में दिए गए हैं;

(x) इसमें उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इस अधिनियम या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की अवहेलना करते हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में दिए गए हैं।"

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम**, 1934 (**भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम**):**

आर. बी. आई. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं:

"2.परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो, -

एक्स एक्स एक्स

(ङ) "अनुसूचित बैंक" से दूसरी अनुसूची में शामिल एक बैंक अभिप्रेत है;

5. केरल सहकारी समिति अधिनियम**, 1969 (**राज्य अधिनियम**, 1969):**

राज्य अधिनियम, 1969 के प्रासंगिक प्रावधानों को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

"2. परिभाषाएँ।**-** इस अधिनियम में**,** जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो **-**

एक्स एक्स एक्स

(छ) "सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसमें समिति के समाप्त होने की स्थिति में उसके सदस्यों का उसके ऋणों के लिए दायित्व उसके उपनियमों द्वारा सीमित है -

((i) उनके द्वारा धारित शेयरों पर क्रमशः अवैतनिक राशि, यदि कोई हो; या

((ख) ऐसी राशि के लिए जो वे क्रमशः समाज की परिसंपत्तियों में योगदान करने का वचन दें;

एक्स एक्स एक्स

((i क) जिला सहकारी बैंक "से एक राजस्व जिले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली और इसके सदस्यों के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, शहरी सहकारी बैंकों वाली केंद्रीय सोसायटी अभिप्रेत है और जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए धन जुटाना है, जिसमें नाममात्र या सहयोगी सदस्य शामिल हैं, जो केरल सहकारी समितियों (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से तुरंत पहले इस अधिनियम के तहत मौजूद थे और जो उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद अस्तित्व में नहीं रहे हैं।

एक्स एक्स एक्स

(ओ. सी.) "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" से ऐसा समाज अभिप्रेत है जिसका कार्य क्षेत्र किसी तालुक तक सीमित है और जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है:

बशर्ते कि किसी भी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को एक से अधिक तालुकों में संचालन क्षेत्र वाली मौजूदा समितियों की संपत्तियों और देनदारियों के विभाजन के बिना पंजीकृत नहीं किया जाएगा और समितियां ऐसे विभाजन पर संबंधित समाज के क्षेत्र में अपने संचालन को प्रतिबंधित करेंगी।

एक्स एक्स एक्स

("राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" से ऐसा शीर्ष समाज अभिप्रेत है जिसके सदस्यों के रूप में केवल प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हैं और जो केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1984 (1984 का 20) में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहा है।

((ख) राज्य सहकारी बैंक का अर्थ है एक शीर्ष समिति जिसके सदस्यों के रूप में केवल जिला सहकारी बैंक हैं।

एक्स एक्स एक्स

“110. रद्द करें और बचत करें।- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 37) की धारा 5 की उप-धारा (2) और त्रावणकोर-कोच्चि सहकारी समिति अधिनियम, 1951 (1952 का 10) में निर्दिष्ट मालाबार जिले में लागू मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1932 (1932 का 6) को इसके द्वारा निरस्त कर दिया जाता है।

(2) मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1932 और त्रावणकोर-कोचीन सहकारी समिति अधिनियम, 1951 के निरसन के बावजूद और व्याख्या और सामान्य खंड अधिनियम, 1125 (1125 का VII) की धारा 4 और 23 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-(i) की गई सभी नियुक्तियां, नियम और आदेश, अधिसूचना और जारी की गई सूचनाएं, और एतद्द्वारा निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के तहत शुरू किए गए मुकदमे और अन्य कार्यवाहियां, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के तहत क्रमशः की गई, जारी की गई और शुरू की गई मानी जाएंगी।

((ख) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को राज्य में विद्यमान कोई भी सोसायटी, जिसे उपरोक्त निरस्त अधिनियमों में से किसी के तहत पंजीकृत या पंजीकृत माना गया है, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जाएगा और ऐसी सोसाइटी के उपनियम, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, तब तक तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उनमें बदलाव या निरसन नहीं किया जाता है।"

केरल राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक अधिनियम**, 1984 (**राज्य अधिनियम**, 1984):**

राज्य अधिनियम, 1984 के प्रासंगिक प्रावधानों को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः

“(2) परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, "कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" का अर्थ है केरल सहकारी केंद्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, जो त्रावणकोर-कोचीन सहकारी समितियों अधिनियम, 1951 (1952 का 10) की धारा 10 के तहत पंजीकृत है, जिसे इसके बाद "केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड" के रूप में जाना जाएगा।

एक्स एक्स एक्स

(क) "केरल राज्य सहकारी बैंक" का अर्थ है एक शीर्ष समिति जिसके सदस्यों के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ और शहरी सहकारी बैंक हैं, जिसमें जिला सहकारी बैंकों के नाममात्र या सहयोगी सदस्य शामिल हैं जो केरल राज्य सहकारी बैंक के नाममात्र या सहयोगी सदस्यों के रूप में बने रहेंगे;

एक्स एक्स एक्स

(आई. ए.) "ग्रामीण विकास" से ग्रामीण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई भी गतिविधि अभिप्रेत है और निम्नलिखित विकासात्मक गतिविधियों का इरादा रखता है -

(1) हस्तशिल्प और अन्य शिल्पों का विकास; (2) लघु उद्योग;

(3) कुटीर और ग्रामीण उद्योग;

(4) लघु और विकेंद्रीकृत वर्ग में उद्योग; (5) ग्रामीण आबादी की ग्रामीण आवास आवश्यकताएँ।

न्यायिक पूर्ववर्तीः

13. इस न्यायालय के साथ-साथ केरल उच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णय, जो इन अपीलों में उठाए गए मुद्दों पर असर डालते हैं, इस स्तर पर दिए जा सकते हैंः

क) थलाप्पलम सर्विस कॉप में।बैंक लिमिटेड बनामकेरल राज्य,

(2013) 16 एस**.** सी**.** सी**. 82,** इस न्यायालय ने अनुच्छेद **26** में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची **II** की प्रविष्टि **32** का उल्लेख किया है जो निम्नानुसार हैः

26. सहकारी समिति भारत के संविधान की अनुसूची VII सूची II प्रविष्टि 32 के तहत एक राज्य का विषय है।भारत के अधिकांश राज्यों ने अपने स्वयं के सहकारी समितियों अधिनियम को लागू किया ताकि राज्य में सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, जैसा कि भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में परिकल्पित है।एक से अधिक राज्यों में काम करने वाली सहकारी समितियों के लिए, बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1984 को संसद द्वारा संविधान की अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 44 के तहत अधिनियमित किया गया था।सहकारी समिति अनिवार्य रूप से उन व्यक्तियों का एक संघ है जो आर्थिक विकास के एक सामान्य उद्देश्य या आपसी सहायता के लिए एक साथ आए हैं।

(हम जोर देते हैं) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 32 निम्नानुसार हैः

“32. सूची I में निर्दिष्ट निगमों के अलावा अन्य निगमों और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और समापन; अनिगमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक ग, धार्मिक और अन्य समाज और संघ; सहकारी समितियाँ।"

ख) भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह, 2021 एस. सी. सी. में यह न्यायालय

ऑन लाइन एस. सी. 474 ने संविधान (सतानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अधिकारों पर विचार करते हुए कानून की उपरोक्त स्थिति को दोहराया है।

349

के. एस. सी. ए. आर. डी. बी. बनाम आकलन अधिकारी, त्रिवेंद्रम और ओ. आर. एस. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 350

ग) एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ अर्बन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में और

गोवा लिमिटेड, इस न्यायालय ने बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 और उसकी धारा 22 पर विचार करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए कंपनियों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार है और कोई भी कंपनी तब तक बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस न हो।उक्त अधिनियम की धारा 22 में संशोधन के बाद, कुछ प्रकार की सहकारी समितियों को, जिन्हें बी. आर. अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी किया जा सकता था।धारा 22 के तहत, "सहकारी समिति" शब्द में सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ शामिल होंगी।इस न्यायालय ने कहा कि दूसरे शब्दों में, कोई भी सहकारी समिति तब तक बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती जब तक कि वह धारा 22 में निर्धारित अनुमत श्रेणियों के भीतर नहीं आती है।"सहकारी बैंक" शब्द को धारा 5 (सी. सी. आई.) के तहत एक राज्य सहकारी बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में परिभाषित किया गया है।इस प्रकार, "सहकारी बैंक" शब्द में सभी सहकारी समितियाँ शामिल नहीं हैं।इसमें केवल उपर्युक्त तीन प्रकार की समितियाँ शामिल हैं जो बैंकों के रूप में कार्य करती हैं।धारा 5 (सी. सी. वी. आई.) के आधार पर, राज्य सहकारी बैंक शब्द को नाबार्ड अधिनियम, 1981 में अवज्ञा के रूप में समझा जाना चाहिए।इस प्रकार, जब तक कोई सहकारी समिति राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक या नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत एक प्राथमिक सहकारी बैंक नहीं है, तब तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है।

इस न्यायालय द्वारा आगे यह समझाया गया कि धारा 22 (1) के तहत, एक प्राथमिक ऋण समिति बैंकिंग व्यवसाय कर सकती है।हालाँकि, यदि कोई सहकारी समिति प्राथमिक ऋण समिति नहीं है, तो बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए, उसे एक सहकारी बैंक होना चाहिए और उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस होना चाहिए।इसलिए, प्राथमिक ऋण समिति के अलावा किसी अन्य सहकारी समिति को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी या सभी सहकारी समितियों को बैंकिंग लाइसेंस दे सकता है।भारतीय रिजर्व बैंक केवल एक सहकारी बैंक को धारा 22 (1) में दिए गए लाइसेंस दे सकता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 56 के तहत लागू नहीं है। इस न्यायालय द्वारा आगे यह अवलोकन किया गया कि जब कोई शब्द किसी क़ानून में

विशिष्ट रूप से अवहेलना करता है, तो उस क़ानून के प्रयोजनों के लिए, उस शब्द का किसी अन्य क़ानून में निर्दिष्ट अर्थ नहीं हो सकता है।बी. आर. अधिनियम, 1949 में दी गई विशिष्टता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और कुछ अन्य परिभाषा सेट को लागू नहीं किया जा सकता है।

किसी अन्य क़ानून में।इसलिए, एक सहकारी बैंक का बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी. सी. आई.) में दिया गया अर्थ होना चाहिए।भारतीय रिजर्व बैंक बी. आर. अधिनियम, 1949 के तहत लाइसेंस के उद्देश्यों के लिए "सहकारी बैंक" शब्द को दिए गए किसी अन्य अर्थ से नहीं जा सकता है।भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त अधिनियम में इस शब्द को दिए गए अर्थ के अनुसार ही चलना होगा।इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारतीय रिजर्व बैंक, धारा 22 के तहत अपनी शक्ति के आधार पर किसी भी सहकारी समिति को तब तक लाइसेंस नहीं दे सकता जब तक कि वह राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक या प्राथमिक सहकारी बैंक न हो।इसके लिए यह आवश्यक होगा कि नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत एक घोषणा पहले प्राप्त की जाए।

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 (एफ) और धारा 2 (यू) के तहत सहकारी समिति और राज्य सहकारी बैंक की अवज्ञा पर विचार करते हुए, यह देखा गया कि नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत, सहकारी समिति एक ऐसी समिति है जो सहकारी समिति अधिनियम, 1912 या किसी भी राज्य में लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाती है।उसमें अपीलार्थी के संदर्भ में, यह देखा गया कि उक्त संस्था ने सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के तहत पंजीकरण नहीं कराया था।इस प्रकार प्रश्न यह था कि क्या उसमें अपीलार्थी किसी राज्य में उस समय लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत सोसायटी थी, जिसमें किसी भी राज्य में लागू सहकारी समितियों से संबंधित सभी कानून शामिल होंगे।नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 (च) की व्याख्या करते हुए, जो सहकारी समितियों की अवहेलना करती है, इस न्यायालय ने कहा कि यह केवल सहकारी समितियों से संबंधित स्थानीय या राज्य कानूनों के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां हैं जो उक्त अवज्ञा के तहत आती हैं।यदि यह एक राज्य सहकारी बैंक है, तो केवल राज्य सरकार द्वारा एक घोषणा की जाएगी।यदि कोई घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो यह उस सोसायटी के संबंध में होनी चाहिए जो उस राज्य में पंजीकृत है और जिसे उस राज्य के सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा विनियमित किया जा सकता है।यह निष्कर्ष निकाला गया कि नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 (च) में "किसी भी राज्य में" शब्दों का अर्थ होगा कि सहकारी समिति को किसी भी राज्य में लागू कानून के तहत पंजीकृत होना चाहिए जिसमें वह काम करना चाहती है।यह भी देखा गया कि नाबार्ड अधिनियम, 1981 में "सहकारी समिति अधिनियम, 1912" शब्दों का उपयोग यह भी इंगित करता है कि यह अवज्ञा उस राज्य में सहकारी समितियों से संबंधित कानून के तहत पंजीकृत समितियों तक ही सीमित है जिसमें वे काम करना चाहते हैं।इस प्रकार, "सहकारी 351 से संबंधित कोई अन्य कानून" शब्द

किसी भी राज्य में कुछ समय के लिए लागू समितियों का मतलब अनिवार्य रूप से केवल एक राज्य कानून है।इसके अलावा, नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत, एक राज्य सहकारी बैंक को राज्य में प्रमुख सहकारी समिति होना चाहिए, जिसका प्राथमिक उद्देश्य उस राज्य में अन्य सहकारी समितियों को वित्तपोषित करना होना चाहिए।नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 (यू) का प्रावधान राज्य को राज्य में मौजूदा प्रमुख सोसायटी के अलावा या जहां राज्य में कोई प्रमुख सोसाइटी नहीं है, किसी एक या अधिक सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों के रूप में घोषित करने में सक्षम बनाता है।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से किसी भी सहकारी समिति को "राज्य सहकारी बैंक" घोषित कर सकती हैं।ऐसी घोषणा करने से पहले, राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से यह संतुष्ट होना चाहिए कि (क) वह राज्य में एक प्रमुख सहकारी समिति है; (ख) वह राज्य में व्यवसाय कर रही है; और (ग) वह व्यवसाय उस राज्य में अन्य सहकारी समितियों को वित्तपोषित करने का है।

इसके अलावा, "राज्य में व्यवसाय करना" अभिव्यक्ति को स्पष्ट करते हुए यह माना गया कि इसका अर्थ केवल बैंकिंग व्यवसाय करना है।इसके अलावा, प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो आवश्यक है वह यह है कि सहकारी समिति को अन्य सहकारी समितियों को वित्तपोषित करने का व्यवसाय करना चाहिए।परंतुक को मुख्य प्रावधान के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।

यदि मुख्य प्रावधान के आलोक में पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट है कि भले ही बैंकिंग व्यवसाय, जैसा कि सख्त अर्थों में समझा जाता है, जारी नहीं रखा जा सकता है, फिर भी राज्य में अन्य सहकारी समितियों को वित्तपोषित करने का व्यवसाय जारी रखा जाना चाहिए।

अंततः यह देखा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक उक्त मामले में अपीलार्थियों को तब तक लाइसेंस नहीं दे सकता था जब तक कि उन्हें नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत राज्य सहकारी बैंक घोषित नहीं किया जाता।चूंकि, इस तरह की घोषणा को रद्द कर दिया गया था, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं कर सकता था।इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक को उसमें अपीलार्थी को दिए गए लाइसेंस को रद्द करना होगा।इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक को अपीलकर्ताओं को दिए गए बैंकिंग लाइसेंस को तुरंत रद्द करने का निर्देश जारी किया गया था।घ) ए. पी. वर्गीज में, बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 पर विचार करते हुए सहकारी बैंक के संदर्भ में, जिसका अर्थ राज्य सहकारी बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक सहकारी बैंक है, जिसे नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत अवज्ञाएं सौंपी गई हैं।

और नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 में खंड (यू) और (डी) की अवज्ञाओं पर विचार करते हुए, यह देखा गया कि एक राज्य सहकारी बैंक राज्य अधिनियम, 1969 की धारा 2 (आर. बी.) में एक अवज्ञा है जिसका अर्थ है एक शीर्ष समाज जिसके सदस्यों के रूप में केवल जिला सहकारी बैंक हैं।जिला सहकारी बैंक, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (आई. ए.) में कहा गया है, एक केंद्रीय समिति है, जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को ऋण देने के लिए धन जुटाना है, जिसका अधिकार क्षेत्र एक राजस्व जिले पर है और इसके सदस्यों के रूप में किसी भी प्रकार की प्राथमिक समितियां और ऐसे जिले में मुख्यालय वाली संघीय और केंद्रीय समितियां हैं।

इसलिए, केरल राज्य सहकारी बैंक एक "राज्य सहकारी बैंक" है जो नाबार्ड अधिनियम, 1981 की अवहेलना करता है और जिला सहकारी बैंक केंद्रीय सहकारी बैंक हैं जो उस अधिनियम की अवहेलना करते हैं। इसलिए, वे बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी. सी. आई.) की अवहेलना करते हुए "सहकारी बैंक" हैं, जो बी. आर. अधिनियम, 1949 के अंतर्गत आते हैं।

यह भी देखा गया कि सहकारी बैंकों को आगे शीर्ष बैंकों और अन्य बैंकों में विभाजित किया गया है।केरल राज्य सहकारी बैंक एक शीर्ष बैंक है और जिला सहकारी बैंक अन्य बैंक हैं।सहकारी क्षेत्र में राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और शहरी बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य या व्यवसाय बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन है।

इसके अलावा, यह देखा गया कि सरफेसी अधिनियम और विशेष रूप से इसकी धारा 13 के प्रावधान संस्थानों, अर्थात् केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू होते हैं।

ङ) नागरिक सहकारी समिति लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त, (2017) 9 एस. सी. सी. 364 ("नागरिक सहकारी समिति लिमिटेड"), अपीलार्थी

उसमें एक सहकारी समिति थी जिसे इस आधार पर धारा 80 पी के लाभ से वंचित कर दिया गया था कि यह अधिनियम की धारा 80 पी की उप-धारा (4) के अंतर्गत आने वाली प्रकृति की एक सहकारी समिति है और इसलिए यह लाभ प्राप्त करने के लिए वंचित है।अतः प्रश्न यह था कि क्या उसमें अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 80 पी की उप-धारा (4) को देखते हुए कटौती प्राप्त करने से रोक दिया गया था। इसमें निर्धारिती की स्थापना वर्ष 1997 में, शुरू में, आंध्र प्रदेश पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समितियों अधिनियम, 1995 की धारा 5 के तहत पंजीकृत एक पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी ऋण समिति के रूप में की गई थी।जैसे-जैसे वर्षों से निर्धारिती का संचालन कई गुना बढ़ा और 353 के रूप में

समाज ने अपनी गतिविधियों को पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में फैलाया, निर्धारिती को बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया गया था।आकलन अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 80 पी के तहत सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती अपीलार्थी के लिए स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि उक्त अपीलार्थी बड़े

पैमाने पर जनता के लिए बैंकिंग व्यवसाय कर रहा था और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, यह बी. आर. अधिनियम, 1949 द्वारा शासित एक सहकारी बैंक के रूप में कार्य कर रहा था और इसका संचालन न केवल इसके सदस्यों के लिए बल्कि बाहरी लोगों के लिए भी था।अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अपील खारिज किए जाने से व्यथित होकर, जिसने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को लागू किया था, इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने पर, इस न्यायालय ने कहा कि धारा 80 पी की उप-धारा (2) के खंड (ए) का उप-खंड (1) दो प्रकार की सहकारी समितियों को मान्यता देता है, अर्थात् (i) जो बैंकिंग का व्यवसाय करते हैं और (ii) जो अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं।इसमें

इसे ध्यान में रखते हुए केरल राज्य सहकारी समिति पर निर्भरता रखी गई थी।एमकेटीजी।फेडरेशन लिमिटेड

बनाम सी. आई. टी., **(1998) 5** एस. सी. सी. **48**।साथ ही सी. आई. टी. बनाम पंजाब का भी उल्लेख किया गया।

राज्य सहकारी समिति।बैंक लिमिटेड (2008) 300 आई. टी. आर. 24 जो कि

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 80 पी एक हितकारी प्रावधान है जिसे देश के आर्थिक जीवन में सहकारी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।इसलिए, इस तरह के प्रावधान को उदारता से, यथोचित रूप से और निर्धारिती के पक्ष में पढ़ा जाना चाहिए ताकि विधानमंडल के उद्देश्य को लागू किया जा सके और इसे विफल नहीं किया जा सके।इसलिए, वे सभी सहकारी समितियाँ जो अधिनियम की धारा 80 पी के दायरे में आती हैं, वे उसकी उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी आय के संबंध में कटौती के हकदार हैं।उप-धारा (2) का खंड (ए) उप-धारा (2) में उल्लिखित ऐसी गतिविधियों में से किसी एक या अधिक के लिए जिम्मेदार लाभों और व्यवसाय के लाभों की पूरी राशि की छूट देता है।वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा अंतःस्थापित धारा 80 पी की उप-धारा (4) परन्तुक की प्रकृति की है और उक्त धारा के तहत ऐसी कटौती किसी सहकारी बैंक को स्वीकार्य नहीं होगी।इस प्रकार, सहकारी बैंकों को अब अधिनियम की धारा 80 पी के दायरे से विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

उसमें अपीलकर्ता एक सहकारी बैंक नहीं था और उसे अपना व्यवसाय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।इसलिए यह

अधिनियम की धारा 80 पी की उप-धारा (4) की शरारत के दायरे में नहीं आएगा। हालाँकि, उसमें अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 80 पी के तहत लाभ का हकदार नहीं माना गया था क्योंकि यह एक सहकारी समिति थी जो केवल अपने सदस्यों के लिए थी और केवल अपने सदस्य को ऋण सुविधाएं प्रदान करती थी।वहाँ निवासी सदस्य या साधारण सदस्य थे लेकिन सदस्यों की एक अन्य श्रेणी भी थी जिसे नाममात्र सदस्य कहा जाता था जो ऋण आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से अपीलार्थी के पास जमा कर रहे थे और वे वास्तविक अर्थों में सदस्य नहीं थे।उसमें अपीलार्थी का अधिकांश कार्य इस दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों यानी आम जनता के सदस्यों के साथ था जो अधिकतम प्रतिफल अर्जित करने के उद्देश्य से जमा राशि जमा कर रहे थे।इसलिए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जमाकर्ता और उधारकर्ता अलग होने के कारण, पारस्परिकता का सिद्धांत भी उसमें अपीलार्थी की गतिविधियों पर लागू नहीं होता है।

च) माविलयी सेवा सहकारी बैंक में, इसके समक्ष अपीलें

"प्राथमिक कृषि ऋण समितियों" के रूप में पंजीकृत सहकारी समितियों द्वारा न्यायालय का नेतृत्व किया गया था, एक "बहु-राज्य सहकारी समिति" के साथ मिलकर यह सवाल उठाया गया था कि क्या अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है और विशेष रूप से, क्या निर्धारिती वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 19 द्वारा अधिनियम की धारा 80 पी (4) को लागू करने के बाद ऐसी कटौती के हकदार हैं।यह नोट किया गया कि इसमें अपीलकर्ता अपने सदस्यों को कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे थे और राज्य अधिनियम, 1969 के तहत सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत कटौती का दावा किया गया था जो मूल्यांकन वर्ष 2007-2008 तक दी गई थी।हालांकि, अधिनियम

की धारा 80 पी (4) की शुरुआत के साथ, मूल्यांकन अधिकारी ने उक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए कटौती के उनके दावों को अस्वीकार कर दिया।

केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अंततः यह अभिनिर्धारित किया कि यदि निर्धारिती-समितियां समाज का विशिष्ट वर्ग नहीं रह जाती हैं, जिसके लिए कटौती का प्रावधान किया गया है, तो अधिनियम की धारा 80 पी की उप-धारा (4) के कारण कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है।केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने तदनुसार प्रश्न का उत्तर दिया।इससे व्यथित होकर, निर्धारिती इस न्यायालय गए।निर्धारिती द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां 355 के तहत कटौती की हकदार हैं।

धारा 80 पी। यह कि अधिनियम की धारा 80 पी में उप-धारा (4) को शामिल करने से जहां तक निर्धारिती का संबंध है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।कि जिस क्षण किसी सहकारी समिति को उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है, चाहे उसका वर्गीकरण कुछ भी हो, जब तक वह अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करता है, तब तक वह अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) में निहित कटौती का हकदार है। कहा जाता है कि कटौती के लिए पात्रता और क्या उप-धारा के तहत ऐसी किसी एक या अधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार लाभ और व्यवसाय के लाभ की पूरी राशि के बीच अंतर किया जा सकता है।दूसरी ओर, उक्त मामले में, राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया था कि किसी भी कटौती के योग्य समाज को अधिनियम की धारा 80 पी (4) द्वारा प्राप्त की गई कटौती के विपरीत कटौती नहीं मिल सकती है। यह कि नागरिक सहकारी समिति लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय को केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा सही ढंग से पढ़ा गया था, जिसका तात्पर्य यह है कि मूल्यांकन अधिकारी को किसी मामले के वास्तविक तथ्यों का आकलन करना चाहिए ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या किसी प्राथमिक कृषि ऋण समिति की गतिविधियाँ वास्तव में उस मूल्यांकन वर्ष में की जा रही थीं, जिसके लिए ऐसी संस्था को यह दिखाने के लिए तथ्यों को प्रस्तुत करना होगा कि वह वास्तव में विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष में एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में अपना व्यवसाय कर रही है।यदि यह इस तरह के बोझ का निर्वहन करने में असमर्थ था तो ऐसी सोसायटी अधिनियम की धारा 80 पी के तहत किसी भी कटौती का लाभ नहीं उठा सकती है। इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 80 पी के संदर्भ में अधिनियम की धारा 2 के खंड (19) के तहत सहकारी समिति की अवज्ञा पर विचार किया, विशेष रूप से इसकी उप-धारा (4) के साथ-साथ बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 3 और 56 और राज्य अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के साथ-साथ कुछ समितियों के उप-कानूनों के आलोक में और पैराग्राफ 18 में निम्नानुसार अवलोकन कियाः

"18. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि विचाराधीन प्राथमिक कृषि समाज का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को कृषि और संबंधित उद्देश्यों के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, फिर भी, कुछ उद्देश्य इससे बहुत आगे जाते हैं, और इसमें समय-समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार बैंकिंग संचालन करना, मेडिकल स्टोर खोलना, शोरूम चलाना और कृषि के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए सदस्यों को ऋण प्रदान करना शामिल है।"

इसके अलावा, इस न्यायालय ने सिटीजन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया, जैसा कि फैसले के पैराग्राफ 24 से 24.5 में चर्चा की गई थी और यह अभिनिर्धारित किया कि केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने ऐसा नहीं किया था।

सिटीजन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में अनुपात को ठीक से समझा।

धारा 80 पी का विश्लेषण विशेष रूप से उक्त धारा की उप-धारा (4) का पैराग्राफ 24 से 24.5 और पैराग्राफ 39 से 43 में किया गया था।पैराग्राफ 24 से 24.5 और पैराग्राफ 39 से 43 को नीचे दिया गया हैः

24. इस निर्णय के विश्लेषण से पता चलेगा कि निर्णय के पैरा 5 में जिस विधि के प्रश्न का उल्लेख किया गया था, उसका उत्तर निर्धारिती के पक्ष में दिया गया था।निम्नलिखित प्रस्तावों को इनमें से निकाला जा सकता है -

सिटीजन कॉप में निर्णय।सोसायटी मामलाः

24.1.यह कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 80-पी एक हितकारी प्रावधान है, जिसे आम तौर पर देश के आर्थिक जीवन में सहकारी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसलिए इसे उदारता से और निर्धारिती के पक्ष में पढ़ा जाना चाहिए।

24.2.कि एक बार जब निर्धारिती कटौती का लाभ उठाने का हकदार हो जाता है, तो धारा 80-पी की उप-धारा (2) में उल्लिखित किसी एक या अधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार व्यवसाय के लाभों और लाभों की पूरी राशि कटौती के रूप में दी जानी चाहिए।

24.3.कि केरल राज्य सहकारी समिति में यह न्यायालय।एमकेटीजी।फेडरेशन लिमिटेड ने

धारा 80-पी का व्यापक और उदारतापूर्वक यह अभिनिर्धारित करते हुए अर्थ लगाया गया है कि यदि कोई सोसायटी कटौती के कई शीर्षों का लाभ उठाती है, और यदि यह कटौती के किसी एक शीर्ष के भीतर आती है, तो यह कर से मुक्त होगी, भले ही कटौती के दूसरे शीर्ष की शर्तें संतुष्ट न हों।

24.4.यही कारण है कि जब विधायिका कटौती को किसी विशेष प्रकार की सहकारी समिति तक सीमित रखना चाहती थी, जैसे कि धारा 80-पी (2) (बी) दूध सहकारी समितियों से स्पष्ट है, तो विधायिका स्पष्ट रूप से ऐसा कहती है-जो धारा 80-पी (2) (ए) (आई) के मामले में नहीं है।

24.5.वह धारा 80-पी (4) धारा 80-पी (1) और (2) में निहित मुख्य प्रावधान के परन्तुक की प्रकृति की है।इस प्रावधान में विशेष रूप से केवल सहकारी बैंकों को शामिल नहीं किया गया है, जो सहकारी समितियां हैं, जिनके पास बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस होना चाहिए।इस तथ्य को देखते हुए कि उस मामले में निर्धारिती इतना लाइसेंस प्राप्त नहीं था, निर्धारिती धारा 80-पी (4) की शरारत के दायरे में नहीं आएगा।

357

के. एस. सी. ए. आर. डी. बी. बनाम आकलन अधिकारी, त्रिवेंद्रम और ओ. आर. एस. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 358

एक्स एक्स एक्स

39. धारा 80-पी (4) के प्रावधानों पर आते हुए, वित्त मंत्री के दिनांकित भाषण का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है, जो धारा 80-पी (4) को लागू करने की आवश्यकता को दर्शाता है।श्री पी. चिदंबरम ने विशेष रूप से कहाः

“166. सहकारी बैंक, किसी भी अन्य बैंक की तरह, ऋण देने वाले संस्थान हैं और उन्हें अपने मुनाफे पर कर का भुगतान करना चाहिए।प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पी. ए. सी. एस.) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पी. 56789) विशेष आधार पर खड़े हैं और उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80-पी के तहत कर से छूट जारी रहेगी। हालांकि, मैं अन्य सभी सहकारी बैंकों को उस धारा के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव करता हूं।"

40. इसी तरह, वित्त अधिनियम, 2006 में निहित प्रावधानों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों वाला 28-12-2006 दिनांकित एक परिपत्र भी महत्वपूर्ण है, और निम्नानुसार हैः

“कुछ सहकारी बैंकों को उपलब्ध कर लाभों की निकासी * * *

22.2.सहकारी बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान काम कर रहे हैं, जिन्हें कोई कर लाभ नहीं मिलता है।इसलिए धारा 80-पी में संशोधन किया गया है और यह प्रावधान करने के लिए एक नई उप-धारा (4) जोड़ी गई है कि उक्त धारा के प्रावधान प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी अन्य सहकारी बैंक के संबंध में लागू नहीं होंगे।"सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि ऋण समिति" और "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" अभिव्यक्तियों को भी उन्हें स्पष्टता देने के लिए अस्वीकार कर दिया गया है।"

41. सी**.** बी**.** डी**.** टी**.** द्वारा एक स्पष्टीकरण**,** दिनांकित **9-5-2008** पत्र में भी महत्वपूर्ण है**,** और निम्नानुसार कहता हैः

“विषय-आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-पी के तहत कटौती की स्वीकार्यता के बारे में स्पष्टीकरण।

***

2. इस संबंध में, मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि धारा 80-पी की उप-धारा (4) में प्रावधान है कि उक्त धारा के तहत कटौती प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी अन्य सहकारी बैंक को स्वीकार्य नहीं होगी।उक्त उप-धारा के प्रयोजन के लिए, सहकारी बैंक का वही अर्थ होगा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग V में दिया गया है।

3. बैंकिंग विनियमन अधिनियम के भाग V में, "सहकारी बैंक" का अर्थ है एक राज्य सहकारी बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक सहकारी बैंक।

4. इस प्रकार, यदि दिल्ली को-ऑप अर्बन टी एंड सी सोसाइटी लिमिटेड बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग V में उल्लिखित "सहकारी बैंक" के अर्थ के अंतर्गत नहीं आता है, तो धारा 80-पी की उप-धारा (4) इस मामले में लागू नहीं होगी।

5. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष की मंजूरी से जारी किया गया।"

42. उपरोक्त सामग्री स्पष्ट रूप से इंगित करेगी कि धारा 80-पी (4) का सीमित उद्देश्य उन सहकारी बैंकों को बाहर करना है जो अन्य वाणिज्यिक बैंकों के बराबर काम करते हैं यानी जो जनता के सदस्यों को धन उधार देते हैं।इस प्रकार, यदि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को अब देखा जाए, तो धारा 56 के साथ पठित धारा 3 से जो स्पष्ट है वह यह है कि एक प्राथमिक सहकारी बैंक एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे सहकारी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) की अवहेलना के रूप में बैंकिंग के व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए, जिसका अर्थ है जनता से धन की जमा राशि को ऋण या निवेश के उद्देश्य से स्वीकार करना।इसी तरह, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) (बी) के तहत, जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू होता है, कोई भी सहकारी समिति भारत में बैंकिंग व्यवसाय नहीं करेगी, जब तक कि वह एक सहकारी बैंक न हो और उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस न हो। इसके विपरीत, एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति एक सहकारी समिति है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को कृषि उद्देश्यों या कृषि गतिविधियों से जुड़े उद्देश्यों के लिए वित्तीय आवास प्रदान करना है।

43. वास्तव में, कुछ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया, क्योंकि उनके उपनियमों में बैंकिंग के व्यवसाय को जारी रखना भी सोसायटी के उद्देश्यों में से एक है।इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 25-10-2013 दिनांकित एक पत्र में इस प्रकार अस्वीकार कर दिया गया थाः

“लाइसेंस के लिए आवेदन

कृपया बैंकिंग लाइसेंस के लिए अनुरोध करने वाले अपने दिनांकित 10-4-2013 आवेदन को देखें।आवेदन की जांच करने पर, हम देखते हैं कि आप एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पी. ए. सी. एस.) के रूप में पंजीकृत हैं।इस संबंध में, हमने आर. सी. एस. को यू. बी. डी. (टी) संख्या 401/10.00/16A/2013-14 दिनांकित 18-10-2013 के पत्र के माध्यम से सलाह दी है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (ए. ए. सी. एस.) की धारा 3 के अनुसार, पी. ए. सी. एस. बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।इसलिए, आपकी सोसायटी भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में नहीं आती है।आर. सी. एस. इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगा।"

नतीजतन, केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया गया कि अधिनियम की धारा 80 पी, सामान्य रूप से सहकारी क्षेत्र के ऋण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित एक हितकारी प्रावधान होने के नाते, निर्धारिती के पक्ष में उदारता और यथोचित रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और यदि कोई अस्पष्टता है।किसी भी प्रतिबंध या सीमा के संदर्भ के बिना दी गई कटौती को निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित या सीमित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि उक्त मामले में राजस्व द्वारा धारा 80 पी (2) (ए) (आई) में "कृषि" शब्द जोड़कर किया जाना चाहिए, जब वह नहीं है। इसके अलावा, धारा 80 पी की उप-धारा (4) को एक परंतुक के रूप में पढ़ा जाना था, जो विशेष रूप से उन सहकारी बैंकों को बाहर करता है जो बैंकिंग व्यवसाय में लगी सहकारी समितियां हैं, यानी जनता के सदस्यों को धन उधार देने में लगी हुई हैं,

जिनके पास भारतीय रिजर्व बैंक से इस संबंध में लाइसेंस है।इसलिए, कटौती का लाभ उक्त मामले में निर्धारिती को दिया गया था, भले ही वे उन सदस्यों को भी ऋण दे रहे हों जो कृषि से संबंधित नहीं हैं।इसके अलावा, यदि यह पाया गया कि गैर-सदस्यों को ऋण दिए जाने के उदाहरण हैं, तो ऐसे ऋणों के लिए जिम्मेदार लाभों में स्पष्ट रूप से कटौती नहीं की जा सकती है।

विश्लेषणः

14. अब हम उपरोक्त निर्णयों का एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करेंगे।

14.1.एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ अर्बन बैंक ऑफ महाराष्ट्र

और गोवा लिमिटेड, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 के तहत केवल तीन सहकारी बैंकों की अवहेलना की गई है, अर्थात् राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक जो नाबार्ड अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के साथ पठित धारा 56 (सी. सी. आई.) के तहत आते हैं।इस प्रकार, केवल ये तीन बैंक हैं जो सहकारी बैंक हैं जिन्हें बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न होने के लिए बी. आर. अधिनियम, 1949 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है।यदि कोई बैंक नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत उल्लिखित तीन बैंकों के नामकरण के दायरे में नहीं आता है, तो यह बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक नहीं होगा, भले ही इसका कोई भी नामकरण या संरचना हो जो किसी भी अधिनियम के तहत उसके पास हो या निगमित हो। यह आगे कहा गया कि यदि किसी बैंक को राज्य सहकारी बैंक होना है, तो नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 (यू) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा एक घोषणा की जानी चाहिए।अतः इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि क्या इसमें अपीलार्थी को राज्य सहकारी बैंक घोषित किया गया है।इस प्रश्न को हमें लंबे समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने ए. पी. वर्गीज में स्पष्ट रूप से कहा था कि "केरल राज्य सहकारी बैंक" एक "राज्य सहकारी बैंक" है जिसे नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत परिभाषित किया गया है।इसलिए, अपीलकर्ता बैंक को नाबार्ड अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत राज्य सहकारी बैंक घोषित नहीं किया गया है।इसके अलावा,

मावेलयी सेवा सहकारी बैंक के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि

सहकारी बैंक बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1 बी) के तहत लाइसेंस प्राप्त करने पर बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न होगा।तत्काल मामले में, इसमें अपीलकर्ता एक सहकारी बैंक नहीं है जो प्रावधानों के उपरोक्त पहलू को ध्यान में रखता है ताकि बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए उपरोक्त प्रावधान के तहत लाइसेंस की आवश्यकता हो।इन परिस्थितियों में, यह सवाल अभी भी उठ सकता है कि क्या इसमें अपीलार्थी अधिनियम की धारा 80 पी के तहत कटौती का लाभ उठाने का हकदार है।

14.2.मावेलयी सेवा सहकारी बैंक में यह देखा गया है

कि अधिनियम की धारा 80 पी एक लाभकारी प्रावधान है जिसे आम तौर पर देश के आर्थिक जीवन में सहकारी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था और इसलिए, इसे निर्धारिती के पक्ष में उदारता से पढ़ा जाना चाहिए।कि एक बार जब निर्धारिती कटौती का लाभ उठाने का हकदार हो जाता है, तो लाभ और व्यवसाय के लाभ की पूरी राशि जो 361 की उप-धारा (2) में उल्लिखित किसी एक या अधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है।

धारा 80 पी को नागरिक सहकारी समिति के माध्यम से कटौती के रूप में दिया जाना चाहिए।ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 80 पी की उप-धारा (4) धारा 80 पी की उप-धारा (1) और (2) में निहित मुख्य प्रावधान के परंतुक की प्रकृति की है। इस प्रावधान में सहकारी बैंकों को शामिल नहीं किया गया है, जो सहकारी समितियां हैं, जिनके पास बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस होना चाहिए।दूसरे शब्दों में, यदि किसी संस्था को बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) के तहत बैंकिंग की अवज्ञा के भीतर बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, तो यह धारा 80 पी की उप-धारा (4) के दायरे में नहीं आएगा।

14.3.अधिनियम की धारा 80 पी का गहराई से विश्लेषण करते समय, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया गयाः

i) सबसे पहले, धारा 80 पी का सीमांत नोट जिसमें लिखा है "सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती" सार्थक नहीं है क्योंकि यह प्रावधान के सामान्य "बहाव" को इंगित करता है।

(ii) दूसरा, कटौती के लिए पात्रता के उद्देश्यों के लिए, निर्धारिती को एक "सहकारी समिति" होना चाहिए।

iii) तीसरा, सकल कुल आय में वह आय शामिल होनी चाहिए जो उप-धारा (2) में निर्दिष्ट है।

iv) चौथा, उपखंड (2) (ए) (आई) एक सहकारी समिति के बारे में बताता है जो अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग का व्यवसाय करती है या अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करती है।

v) पाँचवाँ, निर्धारिती पर यह दिखाने का भार है कि वह तथ्यों को जोड़कर, कि वह धारा 80 पी के तहत कटौती का दावा करने का हकदार है।इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किसी गतिविधि के लिए लाभ और लाभ की राशि की कटौती और श्रेय के लिए पात्रता के बीच का अंतर वास्तविक है।चूँकि गैर-सदस्यों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं से लाभ और लाभ को इसके सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने की गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है, इसलिए ऐसी राशि की कटौती नहीं की जा सकती है।

vii) सातवीं बात, धारा 80 पी (1) (सी) के तहत, सहकारी समितियों को या तो सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए, या

एक राज्य अधिनियम और ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो सकता है जिन्हें अवशिष्ट गतिविधियाँ कहा जा सकता है अर्थात ऐसी गतिविधियाँ जो उपखंड (ए) और (बी) द्वारा कवर नहीं की गई हैं, या तो स्वतंत्र रूप से या उन गतिविधियों के अलावा, तो ऐसी गतिविधि के लिए जिम्मेदार लाभ और लाभ भी काटे जाने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन उपखंड (सी) में निर्दिष्ट सीमा के अधीन हैं।

viii) आठवाँ, उपखंड (घ) में कहा गया है कि जहाँ किसी सहकारी समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियों के साथ निवेश से ब्याज या लाभांश आय प्राप्त की जाती है, वहाँ ऐसी पूरी आय कटौती के लिए पात्र है, प्रावधान का उद्देश्य समग्र रूप से सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाना है।

14.4.माविलयी सेवा सहकारी बैंक के अनुच्छेद 42 में, यह

न्यायालय ने कहा कि धारा 80 पी की उप-धारा (4) का उद्देश्य और उद्देश्य केवल उन सहकारी बैंकों को बाहर करना है जो अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान कार्य करते हैं अर्थात जो जनता के सदस्यों को धन उधार देते हैं।कि बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 3 को पढ़ने पर, प्राथमिक सहकारी बैंक एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति नहीं हो सकता है।इस तरह के सहकारी बैंक को बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) की अवहेलना करते हुए बैंकिंग के व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए, जिसका अर्थ है जनता से धन की जमा राशि को उधार देने या निवेश करने के उद्देश्य से स्वीकार करना।इसके अलावा बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) (बी) के तहत, कोई भी सहकारी समिति भारत में बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती है, जब तक कि वह एक सहकारी बैंक न हो और उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस न हो।यह बताया गया कि उपरोक्त के विपरीत, एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति एक सहकारी समिति है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को कृषि उद्देश्यों या कृषि गतिविधियों से जुड़े उद्देश्यों के लिए वित्तीय आवास प्रदान करना है।

14.5.उक्त मामले में आगे यह देखा गया कि कुछ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस की मांग की थी, लेकिन यह देखते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया कि ऐसी समिति बैंकिंग का व्यवसाय नहीं कर रही थी और यह भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में नहीं आता था, जिसके लिए अपने व्यवसाय के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
14.6.इसके बाद निर्णय के पैराग्राफ 48 में यह देखा गया कि किसी भी प्रतिबंध या सीमा के संदर्भ के बिना दी गई कटौती को निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित या सीमित नहीं किया जा सकता है।धारा 80 पी की वह उप-धारा (4), जो विनिर्दिष्ट रूप से परंतुक की प्रकृति में है, 363 को बाहर करती है।

सहकारी बैंक जो बैंकिंग व्यवसाय में लगी सहकारी समितियाँ हैं अर्थात जनता के सदस्यों को धन उधार देने में लगी हुई हैं, जिनके पास भारतीय रिजर्व बैंक से इस संबंध में लाइसेंस है।

15. यह उपरोक्त कसौटी पर है कि इन अपीलों पर अब कानून के लागू प्रावधानों के दृष्टिकोण से आगे विचार किया जाना चाहिए।15.1.धारा 80 पी सहकारी समितियों की आय के संबंध में उक्त धारा की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सकल कुल आय से कटौती के बारे में बात करती है।उक्त आय से, आयकर के भुगतान के उद्देश्य से निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, धारा 80 पी के प्रावधानों के अनुसार, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट राशियों की कटौती की जाएगी।धारा 80 पी की उप-धारा (2) में विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की गणना की गई है।उप-धारा (2) (ए) (आई) में कहा गया है कि यदि कोई सहकारी समिति बैंकिंग का व्यवसाय करने या अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में लगी हुई है, तो ऐसी किसी भी एक या अधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार लाभ और व्यवसाय के लाभ की पूरी राशि की कटौती की जाएगी।उप-धारा एक ओर बैंकिंग व्यवसाय और दूसरी ओर सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने के बीच स्पष्ट अंतर बताती है।इस प्रकार, बी. आर. अधिनियम की धारा 5 (बी) के तहत बैंकिंग की अवज्ञा को अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने के विपरीत ध्यान में रखा जाना चाहिए।

15.2.धारा 80 पी को अधिनियम में 01.04.1968 से ई. एफ. ई. सी. टी. के साथ जोड़ा गया था, हालांकि, उप-धारा (4) को वर्तमान रूप में 01.04.2007 से ई. एफ. ई. सी. टी. के साथ फिर से जोड़ा गया था।इससे पहले की उप-धारा (4) को 01.04.1970 से इ. एफ. ई. सी. टी. के साथ हटा दिया गया था।धारा 80 पी की उप-धारा (4) वर्तमान रूप में एक अपवाद की प्रकृति में है जिसमें कहा गया है कि धारा 80 पी के प्रावधान प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी अन्य सहकारी बैंक के संबंध में लागू होंगे।सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समिति के साथ-साथ प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास समिति को बी. आर. अधिनियम, 1949 के भाग 5 में क्रमशः सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में परिभाषित किया गया है।

15.3.इस मामले में विवाद यह है कि क्या अपीलकर्ता इकाई एक सहकारी बैंक है और यदि ऐसा है, तो इसे दायरे में लाया जाएगा और

धारा 80 पी की उप-धारा (4) का अर्थ और इसलिए, कटौती के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है।

15.4.धारा 80 पी की उप-धारा (4) के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, बी. आर. अधिनियम, 1949 के अध्याय 5 पर विचार करना आवश्यक है, जिसमें कहा गया है कि उक्त अधिनियम सहकारी समितियों पर लागू होगा, बशर्ते इसके तहत किए गए संशोधन हों।धारा 56 एक गैर-अस्थाई खंड से शुरू होती है और यह बताती है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उक्त अधिनियम के प्रावधान सहकारी समितियों पर या उनके संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे निम्नलिखित संशोधनों के अधीन बैंकिंग कंपनियों पर लागू होते हैं, अर्थात्:

• खंड (क) में पूरे उक्त अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, (i) किसी "बैंकिंग कंपनी" या "कंपनी" या "ऐसी कंपनी" के संदर्भों का अर्थ किसी सहकारी बैंक के संदर्भों के रूप में लगाया जाएगा।

• खंड (ग) में यह कहा गया है कि खंड (सी. सी. आई.) के अनुसार धारा 5 में "सहकारी बैंक" का अर्थ है एक राज्य सहकारी बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक सहकारी बैंक।

• खंड (सी. सी. वी.) "प्राथमिक सहकारी बैंक" को परिभाषित करता है जबकि खंड (सी. सी. वी. आई. आई.) "केंद्रीय सहकारी बैंक" और "राज्य सहकारी बैंक" को नाबार्ड अधिनियम, 1981 में दिए गए अर्थों को निर्दिष्ट करता है।

चूँकि बी. आर. अधिनियम, 1949 के तहत 'बैंकिंग कंपनी' शब्द की अवहेलना की गई है, इसलिए इसकी धारा 5 (सी) में बैंकिंग कंपनी की अवहेलना पर विचार करना उपयोगी होगा, जिसका अर्थ है कोई भी कंपनी जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करती है।"उक्त अधिनियम की धारा 5 (बी) में बैंकिंग का अर्थ जनता से धन की जमा राशि को स्वीकार करना, उधार देने या

निवेश करने के उद्देश्य से, मांग पर या अन्यथा पुनर्भुगतान और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा निकासी करना है।इसलिए, एक बैंकिंग कंपनी को जनता के साथ बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन करना चाहिए।इस प्रकार, प्रथम स्थान पर एक सहकारी समिति को बैंकिंग व्यवसाय में लगाया जाना चाहिए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (बी) में कहा गया है। इसके लिए, बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 22, बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए एक बैंक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाइसेंस के बारे में बात करती है, जिसे इसकी धारा 56 के खंड (ओ) के अनुसार संशोधित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी सहकारी समिति भारत में बैंकिंग व्यवसाय तब तक नहीं करेगी जब तक कि वह 365 वर्ष का न हो।

एक सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक द्वारा उस ओर से जारी लाइसेंस रखता है, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो रिजर्व बैंक लागू करने के लिए समझता है।दूसरा, एक सहकारी समिति को बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए, केवल तभी जब वह एक सहकारी बैंक के रूप में कार्य करती है और अन्यथा नहीं।इस प्रकार, एक सहकारी समिति जिसमें एक सहकारी ऋण समिति भी शामिल है, जो एक सहकारी बैंक नहीं है, को इस तरह से काम करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

15.5.इसके अलावा, नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 (डी) केंद्रीय सहकारी बैंक की अवहेलना करती है, जबकि धारा 2 (यू) एक राज्य सहकारी बैंक की अवहेलना करती है, जिसका अर्थ है किसी राज्य में प्रमुख सहकारी समिति, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य में अन्य सहकारी समितियों का वित्तपोषण करना है, जिसका अर्थ है कि यह सहकारी बैंक के संबंध में बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 के तहत अवहेलना को ध्यान में रखते हुए एक शीर्ष सहकारी बैंक की प्रकृति का है।परंतुक में कहा गया है कि किसी राज्य में ऐसी प्रमुख सोसायटी के अलावा, या जहां किसी राज्य में ऐसी कोई प्रमुख सोसाइटी नहीं है, राज्य सरकार उस राज्य में बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली किसी भी एक या अधिक सहकारी समितियों को राज्य सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक भी घोषित कर सकती है।नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 (v) के अनुसार राज्य भूमि विकास बैंक का अर्थ सहकारी समिति है जो किसी राज्य में प्रमुख भूमि विकास बैंक (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए) है और जिसका प्राथमिक उद्देश्य कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

15.6.धारा 2 (डब्ल्यू) में कहा गया है कि नाबार्ड अधिनियम, 1981 में उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो उसमें अवज्ञाकारी नहीं हैं, लेकिन जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में अवज्ञाकारी हैं, उनके अर्थ उस अधिनियम में क्रमशः दिए गए होंगे। उक्त अधिनियम की धारा 2 (x) में कहा गया है कि नाबार्ड अधिनियम, 1981 में उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ और जो उक्त अधिनियम या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में नहीं हैं, लेकिन बी. आर. अधिनियम, 1949 में हैं, उनके क्रमशः बी. आर. अधिनियम, 1949 में दिए गए अर्थ होंगे।इसलिए, हम बी. आर. अधिनियम, 1949 पर लौटते हैं।

15.7.मामलों के इस समूह में विवाद का केंद्र यह है कि क्या अपीलार्थी बैंक एक सहकारी बैंक है।यह जानना महत्वपूर्ण है कि नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत एक राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक अनिवार्य रूप से या तो किसी जिले में या किसी राज्य में एक प्रमुख सहकारी समिति है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य धन जुटाना है।

जिले या राज्य में क्रमशः अन्य सहकारी समितियाँ।इसके अलावा, नाबार्ड अधिनियम, 1981 बैंकिंग व्यवसाय की अवज्ञा नहीं करता है।इसलिए, नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 के खंड (डब्ल्यू) के संदर्भ में बैंकिंग व्यवसाय की अवज्ञा पर निर्भरता रखी जानी चाहिए, जिसका अर्थ है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम को देखा जाना चाहिए।जब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का अध्ययन किया जाता है, तो यह ध्यान दिया जाता है कि धारा 2 के खंड (i) में "सहकारी बैंक", "सहकारी ऋण समिति", "निदेशक", "प्राथमिक कृषि ऋण समिति", "प्राथमिक सहकारी बैंक" और "प्राथमिक ऋण समिति" के बी. आर. अधिनियम, 1949 के भाग V में क्रमशः दिए गए अर्थ हैं।इसलिए, हमें बी. आर. अधिनियम, 1949 के भाग 5 पर फिर से ध्यान देना होगा, जिसने धारा 56 (सी) (आई) (सी. सी. आई.) में एक सहकारी बैंक को राज्य सहकारी बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक के रूप में घोषित किया है, जिसका अर्थ नाबार्ड अधिनियम, 1981 के समान है।

15.8.चूँकि 'बैंक' और 'बैंकिंग कंपनी' शब्द नाबार्ड अधिनियम, 1981 में अवहेलित नहीं हैं, इसलिए बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खंड (ए) के उपखंड (आई) में अवहेलना पर भरोसा किया जाना चाहिए।इसमें कहा गया है कि एक सहकारी बैंक के संदर्भ में एक सहकारी समिति एक बैंकिंग कंपनी के संबंध में या उसके रूप में होती है।इस प्रकार, सहकारी बैंक का अर्थ किसी बैंकिंग कंपनी के संदर्भ के रूप में किया जाएगा और जब बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (सी) में बैंकिंग कंपनी की अवज्ञा देखी जाती है, तो इसका अर्थ है कोई भी कंपनी जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करती है और जैसा कि पहले से ही उल्लेख किया गया है कि बैंकिंग व्यवसाय को धारा 5 के खंड (बी) में अवहेलना किया गया है, जिसका अर्थ है, उधार देने या निवेश के उद्देश्य से, जनता से धन जमा करना, जो मांग पर या अन्यथा पुनर्भुगतान योग्य है, और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा निकासी।इस प्रकार, यह केवल तभी होता है जब कोई सहकारी समिति ऊपर उल्लिखित अवज्ञा के संदर्भ में बैंकिंग व्यवसाय कर रही होती है कि वह एक सहकारी बैंक बन जाती है और ऐसे मामले में, बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 22 लागू होगी जिसमें उसे एक सहकारी बैंक चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी।दूसरे शब्दों में, यदि कोई सहकारी समिति बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (बी) की अवहेलना करते हुए बैंकिंग का व्यवसाय नहीं कर रही है, तो यह एक सहकारी बैंक नहीं होगा और धारा 56 (सी) (आई) (सी. सी. आई.) के संदर्भ में राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक या प्राथमिक सहकारी बैंक के अर्थों के भीतर नहीं होगा।जबकि एक सहकारी बैंक एक बैंकिंग कंपनी की प्रकृति का होता है जो बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (बी) की अवहेलना करते हुए बैंकिंग के व्यवसाय का लेन-देन करता है।लेकिन अगर एक सहकारी 367

बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (बी) की अवहेलना करते हुए सोसाइटी बैंकिंग के व्यवसाय का लेन-देन नहीं करती है, यह एक सहकारी बैंक नहीं होगा।तब नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत अवज्ञाएं लागू नहीं होंगी।यदि कोई सहकारी समिति सहकारी बैंक नहीं है, तो ऐसी संस्था कटौती का हकदार होगा, लेकिन दूसरी ओर, यदि वह नाबार्ड अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के साथ पठित बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक है, तो वह अधिनियम की धारा 80 पी की उप-धारा (4) के तहत कटौती के लाभ का हकदार नहीं होगा। 15. 9.बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होती है जिसमें कहा गया है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उक्त अधिनियम के प्रावधान सहकारी समितियों पर या उनके संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे कुछ संशोधनों के अधीन बैंकिंग कंपनियों पर या उनके संबंध में लागू होते हैं।धारा 56 का उद्देश्य एक सहकारी समिति की तुलना एक बैंकिंग कंपनी से करना है, यदि वह उक्त प्रावधान के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक है।ऐसा इसलिए है क्योंकि बी. आर. अधिनियम, 1949 का अध्याय 5 सहकारी समितियों के लिए अध्याय के अनुप्रयोग से संबंधित है जो उक्त अध्याय के अर्थ के भीतर सहकारी बैंक हैं।इन मामलों के प्रयोजन के लिए, जो प्रासंगिक है वह यह है कि पूरे बी. आर. अधिनियम, 1949 में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, किसी "बैंकिंग कंपनी" या "कंपनी" या "ऐसी कंपनी" के संदर्भों को सहकारी बैंक के संदर्भों के रूप में माना जाएगा।इसलिए, स्वाभाविक रूप से एक सहकारी बैंक के अर्थ पर विचार करते हुए, ऐसी सहकारी समिति को एक बैंकिंग कंपनी होना चाहिए, तभी इसे एक सहकारी बैंक के रूप में माना जाएगा, जिसे ऐसे बैंक के रूप में कार्य करने के लिए बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

15.10.इसके अलावा, बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 (सी. सी. आई.) के तहत एक सहकारी बैंक की अवज्ञा पर विचार करते हुए, जिसका अर्थ एक राज्य सहकारी बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक सहकारी बैंक है, जिसका अर्थ नाबार्ड अधिनियम, 1981 में क्रमशः उन्हें सौंपा गया है, इसका अर्थ यह होगा कि यदि कोई राज्य सहकारी बैंक नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अर्थ के भीतर है, तो इसे अधिनियम की धारा 80 पी के तहत लाभ से बाहर रखा जाएगा। इसके विपरीत, यदि कोई सहकारी समिति बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक नहीं है, तो वह अधिनियम की धारा 80 पी के तहत कटौती के लाभ का हकदार होगा।

15.11.एक अन्य दृष्टिकोण से देखने पर, एक सहकारी समिति जो नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अर्थ में राज्य सहकारी बैंक नहीं है, बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 के अर्थ में एक सहकारी बैंक नहीं होगा।तत्काल मामले में, जैसा कि ए. पी. वर्गीज मामले में पहले ही उल्लेख किया गया है, केरल राज्य सहकारी बैंक को नाबार्ड अधिनियम, 1981 के संदर्भ में केरल राज्य

सरकार द्वारा राज्य सहकारी बैंक के रूप में घोषित किया जा रहा है और अपीलकर्ता समिति को इस तरह घोषित नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब यह होगा कि अपीलकर्ता समिति राज्य सहकारी बैंक नहीं है।

15.12.वास्तव में, नागरिक सहकारी समिति लिमिटेड में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

कि उसमें अपीलार्थी के सदस्य और नाममात्र सदस्य दोनों थे जो उसमें अपीलार्थी से ऋण सुविधाएँ जमा कर रहे थे और उनका लाभ उठा रहे थे और इसलिए, उसमें अपीलार्थी अधिनियम की धारा 80 पी के लाभ का हकदार नहीं था क्योंकि वह एक सहकारी बैंक के रूप में कार्य कर रहा था।लेकिन, इसमें अपीलकर्ता एक सहकारी बैंक नहीं है और न ही इसे नाबार्ड अधिनियम, 1981 या राज्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया है। दूसरी ओर, राज्य अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के तहत, केरल राज्य सहकारी बैंक को केरल सरकार द्वारा एक सहकारी बैंक के रूप में घोषित किया गया है।

15.13.इसके अलावा, राज्य अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत, 'कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' का अर्थ है केरल सहकारी केंद्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, जो त्रावणकोर-कोचीन सहकारी समितियों अधिनियम, 1951 की धारा 10 के तहत पंजीकृत है, जिसे केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाएगा, यानी इसमें अपीलकर्ता। इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित सभी प्रासंगिक वैधानिक संस्थाओं के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 80 पी की उप-धारा (4) के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक नहीं है। अपीलार्थी अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत एक सहकारी ऋण समिति है जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को वित्तीय आवास प्रदान करना है जो अन्य सभी सहकारी समितियाँ हैं और जनता के सदस्य नहीं हैं।

15.14.इसलिए, जब बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 में "सहकारी बैंक" की अवज्ञा को नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 (यू) के संदर्भ में देखा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने पर बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 2 (सी) के तहत केवल एक राज्य सहकारी बैंक ही बैंकिंग कंपनी के दायरे और अर्थ के भीतर होगा।

निष्कर्षः

तत्काल मामले में, हालांकि अपीलकर्ता सोसायटी राज्य अधिनियम, 1984 के अर्थ के भीतर एक शीर्ष सहकारी समिति है, यह बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) के अर्थ के भीतर एक सहकारी बैंक नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के नेतृत्व में की गई अपीलों की अनुमति दी जाती है और केरल उच्च न्यायालय और इसके विपरीत अन्य प्राधिकरणों के आदेशों को खारिज कर दिया जाता है।नतीजतन, हम मानते हैं कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 80 पी के तहत कटौती के लाभ का हकदार है। विचार के लिए प्रश्नों का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

दल अपन-अपन लागत वहन करत।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे